प्रशिक्षण प्रतिवेदन

She is a CHANGEMAKER

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली एवं
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल
द्वारा आयोजित

ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम 2023-24

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल

प्रशिक्षण प्रतिवेदन

She is a CHANGEMAKER

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली एवं
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल द्वारा आयोजित

ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु
प्रशिक्षण कार्यक्रम 2023-24

अनुक्रमणिका

1. पंचायत राज व्यवस्था

1.1.	पृष्ठभूमि	09
1.2.	73वाँ संविधान संशोधन	09
1.3.	मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993	11

2. प्रशिक्षण की कार्यविधि

2.1.	पृष्ठभूमि	15
2.2.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य एवं मुख्य उद्देश्य	15
2.3.	प्रशिक्षणार्थियों का चयन	15
2.4.	प्रशिक्षण की कार्यविधि	15
2.5.	दस्तावेजीकरण	16
2.6.	सोशल मीडिया कवरेज	16
2.7.	अपेक्षित परिणाम	16

3. प्रशिक्षण सत्रों का विवरण

3.1.	त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था	22
3.2.	नेतृत्व कौशल विकास	25
3.3.	प्रमुख शासकीय योजनाएं	27
3.4.	स्वास्थ्य एवं पोषण	29
3.5.	साइबर अपराध	32
3.6.	आजीविका संवर्धन	32
3.7.	संगठन निर्माण	33
3.8.	सोशल मीडिया एवं संचार कौशल	34
3.9.	ई- गवर्नेन्स	35
3.10.	सोलराइज़ेशन- ग्रामीण भारत का भविष्य	36
3.11.	प्रशिक्षण कार्यकर्मों का समापन	37

4. परिशिष्ट

1.	प्रतिभागियों की सूची	39
2.	वक्ताओं/प्रशिक्षकों का संक्षिप्त परिचय	47
3.	मीडिया कवरेज	55
4.	प्रशिक्षण की झलकियां	60

तालिका एवं चित्रों का विवरण

तालिका 1 त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्ययस्था

तालिका 2 जिलेवार आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण

तालिका 3 कार्यक्षेत्रवार प्रमुख सत्रों का विवरण

चित्र 1 उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि

चित्र 2 वक्ता द्वारा पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास पर सम्बोधन

चित्र 3 जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए वक्ता

चित्र 4 ग्राम विकास योजना (जीपीडीपी) के विभिन्न चरणों के विषय में संबोधित करते हुए वक्ता

चित्र 5 ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधनों पर चर्चा करते हुए वक्ता

चित्र 6 नेतृत्व कौशल पर सत्र के दौरान वक्ता

चित्र 7 प्रतिभागियों से अपने सामाजिक अनुभव साझा करते हुए

चित्र 8 महिला जनप्रतिनिधियों से संचार कौशल को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा

चित्र 9 मनरेगा योजना पर चर्चा के दौरान वक्ता

चित्र 10 सुश्री मनीषा दवे का आभार व्यक्त करते हुए श्री गौरव खरे, एडवाईज़र

चित्र 11 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर चर्चा

चित्र 12 श्री साबिर इकबाल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक पर चर्चा करते हुए

चित्र 13 सामाजिक न्याय संबंधित योजनाओं पर चर्चा के दौरान वक्ता

चित्र 14 प्रतिभागियों से खान पान एवं पोषण पर विस्तृत चर्चा के दौरान

चित्र 15 पंचायत स्तर पर जेंडर बजटिंग पर चर्चा करतीं वक्ता

चित्र 16 आहार में पोषक तत्वों के महत्व के विषय में चर्चा

चित्र 17 स्वास्थ्य संबंधित विविध मुद्दों पर प्रतिभागियों से चर्चा के दौरान वक्ता

चित्र 18 वक्ता साइबर हेल्पलाइन सुविधाओं पर चर्चा के दौरान

चित्र 19 वक्ता द्वारा आजीविका संवर्धन में पंचायतों की भूमिका पर सम्बोधन

चित्र 20 प्रशिक्षक के साथ टीम बिल्डिंग गतिविधियां करतीं हुई प्रतिभागी

चित्र 21 सोशल मीडिया का प्रभावशाली उपयोग दर्शाते हुए प्रशिक्षक

चित्र 22 संचार कौशल सत्र के दौरान वक्ता

चित्र 23 विभागीय पोर्टल का उपयोग दर्शाते हुए वक्ता

चित्र 24 प्रशिक्षक दल विभिन्न पोर्टल के संचालन पर संबोधन देते हुए

चित्र 25 सौर ऊर्जा के विषय में प्रतिभागियों का क्षमतावर्धन करतीं वक्ता

आमुख

मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज निर्वाचन वर्ष 2022 में सम्पन्न हुए जिसमे 23000 से अधिक ग्राम पंचायतों हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ। इनमें अधिकांश, प्रतिनिधि पहली बार निर्वाचित होते हैं, जिन्हे पंचायत राज के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला जन प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम **"शी इज़ ए चेंजमेकर'** अंतर्गत ग्राम पंचायत की महिला प्रतिनिधियों में प्रभावशाली एवं सक्रिय नेतृत्व को बढ़ावा देने, महिला जन-प्रतिनिधियों के रूप में उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों, शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के साथ-साथ पंचायत राज से संबंधित दायित्वों पर उनका क्षमतावर्धन करने का कार्य संस्थान को सौंपा गया।

इस दिशा में संस्थान द्वारा मौलिक स्तर से कार्य करने का प्रयास किया गया एवं इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रदेश के 05 जिलों नामतः बैतूल, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन तथा भोपाल जिले की लगभग 200 महिला जन-प्रतिनिधियों का तीन दिवसीय रहवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। संस्थान द्वारा प्रशिक्षण अंतर्गत चयनित विषयों पर संबंधित विषय के विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण की पद्धतियों में संवाद, प्रस्तुतीकरण, फिल्म प्रदर्शन, केस स्टडी जैसी पद्धतियों का उपयोग प्रमुखता से किया गया।

ग्राम पंचायतों की महिला जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की विस्तृत रूपरेखा एवं रणनीति बनाने तथा विभिन्न स्तर पर समन्वय करने में संस्थान की ओर से डॉ. सुप्रभा पटनायक, प्रमुख सलाहकार एवं श्री गौरव खरे, एड्वाइज़र द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। साथ ही इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु श्री अमिताभ श्रीवास्तव, एड्वाइज़र, श्री भागवत अहिरवार, एड्वाइज़र तथा रिसर्च एसोसिएट्स सुश्री अदिति रावत एवं श्री रवींद्र नारायण पटेल द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गई। इस कार्यक्रम हेतु विभिन्न विषय-विशेषज्ञों एवं संस्थान के अन्य सदस्यों का भी योगदान प्राप्त हुआ।

हमारा विश्वास है कि यह प्रयास ग्राम पंचायतों की महिला प्रतिनिधियों में सक्रिय नेतृत्व एवं जन-प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्य एवं दायित्वों को और अधिक प्रभावी रूप से समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा प्रतिभागियों में आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ विश्वास, एवं प्रेरणा पैदा करने में सहायक होगा।

(लोकेश शर्मा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

1

पंचायत राज व्यवस्था

1.1. पृष्टभूमि

भारत की राजनैतिक प्रकृति लोकतान्त्रिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी आधारशिला भारत के संविधान में स्थापित हैं। आज़ादी के बाद देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में चलाने के लिए एक मज़बूत और प्रभावी शासन व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके तारतम्य में हमारे देश के नीति निर्माताओं ने भारत के संविधान के रूप में एक बुनियादी संरचना दी जिसके आधार पर देश को एक नियोजित तथा न्यायोचित दिशा प्राप्त हुई। भारत का संविधान वह आदर्श प्रलेख या दस्तावेज है, जिसके आधार पर देश में अन्य अधिनियम एवं नियम अपना आधार एवं आकार लेते हैं, तथा देश के समस्त नागरिकों को इसके प्रमुख तीन स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच एक सुपरिभाषित अंतः सम्बन्ध स्थापित करते है।

संविधान इस देश की आत्मा है, इसके द्वारा बनाई गई विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य बनाने का आधारशिला रखी गई, जिससे इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तौर पर न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा-सम्मान एवं समान अवसर मिलने के मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट हैं कि हमारे देश में राजनैतिक-सामाजिक दृष्टि से संविधान से बढ़कर कुछ नहीं हैं। यह अपने-आप में एक सर्वोच्च दस्तावेज हैं जिसके द्वारा निहित भावना के अनुरूप विभिन्न प्रणाली या कार्यव्यवस्था अपनी रूप-रेखा तैयार करती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियों तथा अधिकार सौपेंगा जिससे इन संस्थाओं को स्वयं स्थानीय सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके सम्बन्ध में क़ानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। सन 1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है तथा संविधान में भाग 9 को जोड़कर तथा इस भाग में 16 नये अनुच्छेदों (243 से 243-ण तक) और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के सम्बन्ध में व्यापक प्रावधान किये गये हैं।

हमारे देश में पंचायत राज व्यवस्था लाने वाला 73वां संविधान संशोधन भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर हैं। इसने भारत के गाँव-गाँव तक लोकतंत्र की जड़े मजबूत की हैं। पंचायतें अब गाँव में सुशासन की रीढ़ हैं। 73वें संविधान संशोधन के कुछ शक्तिशाली लोगों के हाथ में ताकत देने की जगह कमजोरों को सत्ता में शामिल करने का रास्ता दिया है जिससे मानव अधिकार तथा मूल्यों वाला समाज बन सके। एक ऐसे समावेशी समाज बनाने की ओर कदम बढ़ाया गया जिसमे कमजोर, गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, बच्चे, महिलाएं, निरक्षर या कम पढे-लिखे लोग भी अब पंचायत राज व्यवस्था में अपनी भागीदारी कर सकते हैं।

1.2. 73वाँ संविधान संशोधन

आज़ादी के बाद से हमारे देश में संविधान द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था चल रही हैं। संविधान ही हमारे देश को चलाने वाला वैधानिक रूप से सर्वोच्च दस्तावेज है, जो अन्य सभी कानूनों को बनाने का आधार भी है। दिलचस्प बात है कि पंचायत और ग्राम सभा जैसे शब्द भी संविधान में लिखे गए हैं। इसलिए पंचायतों को एक बड़ी ताकत सीधे संविधान से मिलती हैं। इसी वजह से संविधान के अनुच्छेद 40 की मूल भावना के अनुसार गावों में ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए 73वें संविधान संसोधन में कुछ खास प्रावधान किए गए जो इस प्रकार हैं -

- संविधान में सशोधन के बाद 24 अप्रैल 1993 से नई पंचायत राज व्यवस्था सम्पूर्ण देश भर में लागू हुई।
- राज्यों के विभिन्न मण्डल से विस्तार (शासन का विकेन्द्रीकरण) हो कर जिले के ग्रामीण परिक्षेत्र में जिला, मध्यस्थ और ग्राम पंचायत का गठन लोकतांत्रिक ढंग से होता है।
- यह सभी पंचायतें भारत के संसद और राज्यों के विधान मण्डल की तरह संवैधानिक संस्थाएं हैं।

- इन पंचायतों के चयनित जनप्रतिनिधि जैसे जिला और जनपदों के अध्यक्ष या ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचों के पास विधायक और सांसदों की तरह जन सेवक के तौर पर अपने क्षेत्र में मूलभूत सेवाएँ और विकास के लिए कार्य करने के अधिकार और जिम्मेदारियाँ सौंपे गए हैं।
- पंचायतें अब एक संवैधानिक संस्था बन गयी हैं तथा उन्हें कानूनी अधिकार मिल गए हैं।
- प्रदेश स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायतें होती हैं –
- पंचायत राज संस्थाएं सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए स्वशासन की इकाई बन गयी हैं।
- अनुच्छेद 243 दृ छ (ख) में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी हैं जिसमें पंचायतों को 29 विषय हस्तांतरित किए गए हैं, जिनके ऊपर पंचायतें अपनी आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बना सकती हैं।

तालिका 1 त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्ययस्था

स्तर	पंचायत राज संस्था का नाम
ग्राम या ग्राम समूहों के स्तर पर	ग्राम पंचायत
विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के समूह के स्तर पर	जनपद पंचायत
जिले के सभी विकसखंडों एवं ग्राम पंचायतों हेतु जिला स्तर पर	जिला पंचायत

- संसद तथा विधान सभा की तरह पंचायत राज संस्थाओं के भी हर पाँच साल में अनिवार्य रूप से चुनाव कराये जाएंगे। इन चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए हर राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया हैं।
- पंचायत के चुनाव में अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी ।
- ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं को मिलाकर ग्राम सभा होगी और यह संवैधानिक संस्था है।
- पंचायतों को अपने कामकाज को संचालित करने के लिए राज्य बजट के राजस्व का कितना प्रतिशत पचायतों को दिया जाये इसकी अनुशंसा करने हेतु राज्य वित्त आयोग बनाया गया।
- प्रत्येक जिले में समस्त स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण दोनों) द्वारा बनाई गयी वार्षिक योजना का एकीकरण, समन्वय, अभिसरण और अनुमोदन के लिए जिला योजना समिति का गठन किया गया। (अनुच्छेद -243 zd)
- पाँचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा मध्यप्रदेश के अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों के जैसे - राजस्व व वन ग्रामों में एक या दो से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकता हैं। यानी मजरे-टोलों में भी ग्राम सभा का गठन किया जा सकता हैं। इन ग्राम सभाओं में बैठक की अध्यक्षता सरपंच, उपसरपंच या पंच नहीं करता हैं, बल्कि बैठक में उपस्थित आदिवासी (जनजाति) समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है।
- पंचायतों को अपने पंचायत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए सहभागी ढंग से योजना तैयार किया जाना होगा जिसका अनुमोदन ग्राम सभा से प्राप्त करना अनिवार्य है। (अनुच्छेद - 243 छ (क))
- पंचायतों के काम को अनुच्छेद - 243 छ (ख) और 11वीं अनुसूची में स्पष्ट किया गया हैं। इसके अनुसार पंचायतों को अलग-अलग 29 विषय सौंपे गए हैं।
- पंचायतों में समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पद और स्थान दोनों में इन वर्गो के लिए आरक्षण के प्रावधान हैं।
- भारत के सभी राज्यों में 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं।

1.3. मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993

मध्यप्रदेश वर्ष 1993 में 73वां संविधान संसोधन अधिनियम के अनुरूप मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना । दिनांक 25 जनवरी 1994 को प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 26 जनवरी 1994 से इसे पूरे प्रदेश में प्रभावशील किया गया। इसके बाद वर्ष 1994 से वर्ष 2000 के बीच इस अधिनियम में कई छोटे-मोटे संशोधन होते रहे इसी क्रम में, वर्ष 2000 में एक बड़ा संशोधन हुआ जिसमें मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज लागू करके ग्राम पंचायत से बहुत सी जिम्मेदारी सीधे ग्राम सभाओं को सौंप दी, जिससे प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को अधिक विस्तार मिला। उपरोक्त व्यवस्था के तहत प्रदेश में वर्तमान में 22824 ग्राम पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें और 52 जिला पंचायतें स्थापित हैं, जिनमें लगभग 3.97 लाख पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1993 की विशेषताएं इस प्रकार है -

1. प्रत्येक राजस्व एवं वन ग्राम के लिए ग्राम सभा होगी। इस ग्राम सभा का सदस्य हर वह व्यक्ति होगा जिसका नाम इस गांव की मतदाता सूची में हो। धारा-2(आठ)
2. ग्राम सभा की तीन माह में कम से कम एक बैठक करना अनिवार्य होगी। धारा-6(1)

   2.1 ग्राम के लिये ग्राम पंचायत, विकास खण्ड के लिये जनपद पंचायत और जिले के लिये जिला पंचायत का गठन किया गया है। (धारा-8)
3. प्रत्येक पंचायत की कार्य अवधि (समय) पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की होगी जब तक कि इसे समय से पहले कानूनन विघटित (भंग) न किया जाये। इस अवधि में पंचायत के विघटित होने के छः माह के भीतर अगले चुनाव कराया जाना जरूरी है। (धारा-9-2ख)
4. किसी भी क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उसी अनुपात में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे। जैसे राज्य की जनसंख्या में इन जातियों का जो अनुपात है उसके आधार पर जिला पंचायत के अध्यक्षों के पद, जिले की कुल जनसंख्या में इन जातियों की जनसंख्या का जो अनुपात है उसी आधार पर जिले की जनपद पंचायत के अध्यक्षों के पद एवं जनपद पंचायत की कुल जनसंख्या में इन जातियों की जनसंख्या का जो अनुपात है उसी अनुसार जनपद पंचायतों अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के सरपंचों के पद आरक्षित किये गये हैं।

   उदाहरण के तौर पर यदि किसी राज्य में अजा एवं अजजा की कुल जनसंख्या उस राज्य की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है तो उस राज्य के सभी जिला पंचायतों में से 40 प्रतिशत जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अजा एवं अजजा के लिये आरक्षित होंगे इसी प्रकार जनपद और ग्राम पंचायतों के लिये पद आरक्षित होंगे। (धारा-17, 25 एवं 32)

   4.1 जिस जिले एवं जनपद पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम है वहां जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत के सरपंचों के कुल पदों के 25 प्रतिशत (एक चैथाई) पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किये जायंगे। (धारा-17, 25 एवं 32)

   4.2 संविधान की पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहते हैं।

   4.3 अनुसूचित जाति की ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच/उपसरपंच तथा पंच के अलावा अन्य अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा किये जाने का प्रावधान है जो उस ग्राम सभा का सदस्य हो और ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा सर्वसहमति से उस बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना जाए।
5. यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष या ग्राम पंचायत का सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उपाध्यक्ष/उप सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के सदस्यों में से चुना जावेगा। (धारा-17, 25 एवं 32)

6. पंचायतों के निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिये प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। (धारा-42)

7. ग्राम पंचायत में 10 से 20 वार्ड, जनपद पंचायत में 10 से 25 एवं जिला पंचायत में 10 से 35 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से एक पंच होगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक सरपंच तथा एक उप सरपंच होगा। इसी तरह जनपद व जिला पंचायत में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के एक-एक पद होंगे।

8. जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के सभी पदों के लिये तय कुल स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

9. ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच, जनपद के सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा होगा। जनपद तथा जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

10. प्रत्येक ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जनपद व जिला पंचायत में उपाध्यक्ष का पद होगा जो कि उस पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है।

11. यदि सरपंच या उप सरपंच लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा का सदस्य अथवा सहकारी समिति का सभापति या उप सभापति हो जाता है, तो वह सरपंच अथवा उप सरपंच के पद पर नहीं रह सकेगा और पद तत्काल रिक्त हो जाएगा।

12. जनपद और जिला पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा जो उस जनपद या जिला पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है। (धारा-23 और 30)

13. जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या आधे या आधे से कम है वहां पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जा सकेंगे।

14. जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उसी अनुपात में आरक्षित किया जायेगा जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का अनुपात जिला पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के बीच है। इन जनपद अध्यक्ष के कुल पदों में से आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। {धारा-25,32-(दो)}

15. ग्राम पंचायत, जनपद तथा जिला पंचायत के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद, प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर इनकी पहली बैठक आयोजित की जावेगी। यह सम्मेलन विहित अधिकारी के आदेश द्वारा बुलाया जावेगा। {धारा-20 (1) 27(1) 34 (1)}

16. ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कामों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। (धारा-49, 50, 52) ।

17. पंचायतों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके साथ-साथ भवनों के निर्माण पर नियंत्रण एवं अनुमति, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को खत्म करने, मार्गों का नामकरण करने, भवनों पर क्रमांक डालने तथा बाजारों और मेलों का नियमन करने का अधिकार दिया गया है। (धारा 54 से 60)।

18. पंचायत के कार्यों में सहयोग हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव तथा जनपद और जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन्हें वे कार्य करने होंगे जो नियम के अनुसार इन्हें सौंपे गये हैं। (धारा-69 एवं 72)

19. पंचायतों को स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों को बढ़ाने के उददेश्य से पंचायत स्तर पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है, जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 77 के साथ पठित अनुसूची 1, 2 और 3 में है।

20. पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। (धारा-84)

21. राज्य शासन समय पर किसी भी अधिकारी को पंचायतों के जांच की जिम्मेदारी दे सकती है। (धारा-88)

22. पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक उनके कारण पंचायत को हुई किसी धन हानि, सम्पत्ति की हानि, गलत ढंग से किए गये खर्चे व राशि के दुरूपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। (धारा-89)

23. ग्राम पंचायत सरपंच अथवा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विभिन्न प्रावधानों के तहत पद से हटाया जा सकता है। (धारा-40)

24. पंचायत के नये चुने हुए सदस्यों को पहली बैठक की तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा। पुराने सदस्य पंचायत के सभी दस्तावेज, वस्तु, धन या सम्पत्ति नये पंचायत प्रतिनिधियों को तत्काल सौंपेगे। अगर वह नहीं सौंपता है, तो विहित अधिकारी उसके/उनके विरूद्ध कार्यवाही कर सकेगा। (धारा 92)

25. यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत में से एक से अधिक पद पर चुना जाता है तो वह नीचे लिखी प्राथमिकता-क्रम में किसी एक पद पर बना रह सकेगा। शेष पदों को उसे छोड़ना पड़ेगा। (धारा-41)

    1. जिला पंचायत का सदस्य
    2. जनपद पंचायत का सदस्य
    3. ग्राम पंचायत का सरपंच
    4. ग्राम पंचायत का पंच

26. एक से अधिक पद पर निर्वाचित व्यक्ति निर्वाचन से 15 दिन के अंदर एक पद पर बने रहने का अपना विकल्प देगा। यदि वह ऐसा विकल्प 15 दिन में नहीं देता है, तो वह ऊपर लिखे क्रम में किसी एक पद पर ही पदाधिकारी रह सकेगा।

2

प्रशिक्षण की कार्यविधि

2.1. पृष्ठभूमि

मजबूत एवं जीवंत लोकतंत्र के निर्माण के लिए सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग,भारत सरकार, नई दिल्ली के अखिल भारतीय क्षमतावर्धन कार्यक्रम 'She is a Changemaker' के तहत मध्यप्रदेश के 05 जिलों की कुल 200 महिला जन-जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संस्थान को सौंपी गई ।

2.2. प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य एवं मुख्य उद्देश्य

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य ग्राम पंचायतों की महिला जनप्रतिनिधियों में नेतृत्व क्षमता विकसित कर उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे वे सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें तथा क्षेत्र में तथा अपने अधिकारों के लिए जागरूक व मुखर बनें एवं शासन में प्रभावी रूप से सहभागिता कर सकें।

इस कार्यक्रम के उद्देश्य महिला जनप्रतिनिधियों में प्रभावशाली और सक्रिय नेतृत्व को बढ़ावा देना, महिला जनप्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों, शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के साथ-साथ पंचायत राज से संबंधित दायित्वों एवं कार्यप्रणालियों जैसे विभिन्न मुद्दों पर उनका क्षमतावर्धन करना है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों, नेतृत्व विकास, त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं पोषण, संचार कौशल एवं सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग, सार्वजनिक स्तर पर बोलने की कला, ई-गवर्नन्स, आजीविका संवर्धन में पंचायतों की भूमिका, टीम बिल्डिंग, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध एवं मानव तस्करी, जनप्रतिनिधियों के रूप में कार्य एवं दायित्व इत्यादि जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- पंचायत राज संस्थानों के कार्यात्मक और परिचालन पहलुओं के संबंध में ग्राम पंचायतों की निर्वाचित महिला जन- प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन करना।
- सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को बढ़ावा देकर ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण।
- ग्राम विकास योजना (GPDP) तैयार करने में ग्राम पंचायत की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का क्षमता वर्धन।
- प्रमुख शासकीय फ्लैगशिप योजनाओं/सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत की भूमिकाओं के विषय में प्रतिभागियों की समझ विकसित करना।

2.3. प्रशिक्षणार्थियों का चयन

इस कार्यक्रम अंतर्गत मध्य प्रदेश के दो राजस्व संभागों भोपाल एवं नर्मदापुरम अंतर्गत आने वाले 5 जिलों नामतः बैतूल, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन तथा भोपाल जिले का चयन किया गया है । प्रत्येक जिले से 40 महिला प्रतिनिधियों का एक मिश्रित समूह जिसमें प्रथम बार निर्वाचित एवं अन्य महिला सरपंचों को प्रशिक्षण में शामिल करने का प्रयास किया गया है । इस प्रकार कुल 05 जिलों से लगभग 200 महिला जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है।

2.4. प्रशिक्षण की कार्यविधि

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों हेतु प्रशिक्षण की रूप- रेखा अनुरूप संस्थान की आंतरिक फेकल्टी के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों/विभागीय अधिकारियों/ स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को संसाधन व्यक्तियों/प्रशिक्षकों के रूप में चिन्हित किया गया । प्रशिक्षण के तरीके में मिश्रित पद्धतियों का उपयोग किया गया जिसमें कक्षा शिक्षण (Class room teaching), पीपीटी, प्रदर्शन, रोल प्ले, वीडियो क्लिप, फिल्में, समूह चर्चा, केस स्टडीज़ आदि प्रमुखता से शामिल किए गए ।

2.5. दस्तावेजीकरण

संस्थान द्वारा इस कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों (05) का संकलन एक विस्तृत प्रतिवेदन के रूप में किया गया है, जिसमें 05 बैचों में आयोजित प्रशिक्षण अंतर्गत विभिन्न सत्रों के विवरण के साथ प्रशिक्षणार्थियों की सूची, विषय-विशेषज्ञों की सूची, मीडिया कवरेज एवं प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण फोटोग्राफ संलग्न किए गए हैं ।

2.6. सोशल मीडिया कवरेज

संस्थान द्वारा आयोजित प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमों अंतर्गत सभी प्रशिक्षण सत्रों का विवरण संस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तत्काल पोस्ट किया गया जिसमें सत्र के दौरान आयोजित चर्चाओं, गतिविधियों आदि का उल्लेख किया गया।

2.7. अपेक्षित परिणाम

यह प्रशिक्षण ग्राम पंचायतों की महिला जनप्रतिनिधियों को अपनी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को और बेहतर रूप से समझने के लिए एक माहौल बनाने में मदद करने तथा प्रतिभीगियों को जनप्रतिनिधि के रूप में उनके कार्य एवं दायितव्यों को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । इस तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘She is a Changemaker’ के माध्यम से प्रतिभागियों में आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ विश्वास, प्रेरणा पैदा करने एवं सबसे महत्वपूर्ण उनकी नेतृत्व क्षमता की गुणवत्ता में सुधार कर उन्हे शासन प्रक्रिया की मुख्यधारा में लाने हेतु सहायक होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत सभी प्रतिभागी, निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के रूप में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के विषय में अधिक सतर्क एवं जागरूक हो सकेंगे।

महिला पंच- सरपंचों को प्रशिक्षण की पहल

भोपाल| प्रदेश की महिला सरपंच और पंच को अटल बिहारी वाजपेयी' सुशासन संस्थान प्रशिक्षण देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदेश के पांच जिलों बैतूल, सीहोर, नर्मदापुरम रायसेन और भोपाल जिले की 200 महिला जनप्रतिनिधियों को 'शी इज ए चेंजमेकर' प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण के लिए चुना है। तीन दिन के इस प्रशिक्षण में इन महिलाओं को सक्रिय नेतृत्व को बढ़ावा देने से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में बैतूल जिले की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

NCW reposted

AIGGPA @AIGGPA · 26 Sep

#SheisaChangemaker

" राष्ट्रीय महिला आयोग आपको प्रशिक्षित करने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है ताकि आप सीखें और आपके अधिकारों का कोई दुरुपयोग न कर सके।"

- श्री एम एल त्यागी, संयुक्त आयुक्त, मनरेगा परिषद, भोपाल |

#mahilasarpanch #WomenEmpowerment #PRIs

You and 9 others

3

प्रशिक्षण सत्रों का विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं अटल बिहारी वाजपेयी सुशसन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘She is a Changemaker’ अंतर्गत प्रदेश के 05 जिलों नामतः बैतूल, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन तथा भोपाल जिले की ग्राम पंचायतों की लगभग 200 महिला जनप्रतिनिधियों (सरपंच) का प्रशिक्षण किया गया है। इस कार्यक्रम अंतर्गत जिलेवार आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार तालिका क्रमांक – 1 में दिया गया है :-

तालिका 2 जिले वार आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण

क्र.	जिला	दिनांक	प्रशिक्षण स्थल
1	बैतूल	23-25 अगस्त 2023	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल
2	सीहोर	12-14 सितंबर 2023	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल
3	रायसेन	25-27 सितंबर 2023	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल
4	भोपाल	04-06 अक्टूबर 2023	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल
5	नर्मदापुरम	29- 31 जनवरी 2024	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल

उद्घाटन सत्र

इस प्रशिक्षण श्रंखला का शुभारंभ बैतूल जिले की ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों के साथ प्रारंभ किया गया जिसका उद्घाटन दिनांक 23 अगस्त 2023 को श्रीमती तृप्ति राज त्रिपाठी, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में किया गया। संस्थान की ओर से डॉ. सुप्रभा पटनायक, प्रमुख सलाहकार इस सत्र में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

चित्र 1 उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि

सर्वप्रथम संस्थान की प्रमुख सलाहकार डॉ. सुप्रभा पटनायक द्वारा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं इसकी आवश्यकता से प्रतिभागियों एवं उपस्थित हितधारकों को अवगत कराया गया एवं इस तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर संक्षिप्त चर्चा की गई । श्रीमती तृप्ति राज त्रिपाठी द्वारा महिला सशक्तिकरण के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा गया ‘आज की नारी अबला नहीं, बल्कि शक्ति, आत्मविश्वास, उत्साह एवं लगन से परिपूर्ण एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व है। समाज के हर क्षेत्र में समान भागीदारी दर्शाकर उसने साबित किया है कि हां, वही है समाज परिवर्तक, वही है चेंज मेकर’। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधियों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने तथा अपने दायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहान की अहमियत के बारे में बताया। संस्थान के एड्वाइज़र एवं इस कार्यक्रम के समन्वयक श्री गौरव खरे द्वारा प्रतिभगियों से उनकी इस प्रशिक्षण से अपेक्षाएं जानने तथा प्रशिक्षण के अपेक्षित परिणामों पर चर्चा की गई तथा धन्यवाद ज्ञापित कर सत्र का समापन किया गया ।

आयोजित प्रशिक्षणों का कार्यक्षेत्रवार विवरण

ग्राम पंचायत की महिला जन-प्रतिनिधियों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘She is a Changemaker’ अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों अनुरूप आयोजित किए गए विभिन्न सत्रों को कुछ प्रमुख कार्यक्षेत्रों/थीम में विभाजित किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार तालिका क्रमांक – 2 में दर्शाया गया है :-

तालिका 3 कार्यक्षेत्रवार प्रमुख सत्रों का विवरण

क्र.	कार्यक्षेत्र/थीम	सत्र	वक्ता
1	त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था	त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था	श्री जी.पी.अग्रवाल , उप-संचालक (से. नि.), पंचायत राज संचालनालय, भोपाल
			श्री बालकिशन व्यास, गेस्ट फैकल्टी, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
			श्री गौरव खरे, एडवाईज़र, सुशासन संस्थान, भोपाल
		ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (GPDP), पंचायतों के वित्तीय संसाधन एवं अन्य राजस्व स्त्रोत	श्री जितेन्द्र, वरिष्ठ प्रेक्टिशनर, टी.आर. आई. एफ., भोपाल
			श्री राजेश सिंह, वरिष्ठ प्रेक्टिशनर, टी.आर. आई. एफ.,भोपाल
			श्री संजय कुमार , टी.आर.आई.एफ.,भोपाल
2	नेतृत्व कौशल विकास	नेतृत्व कौशल	श्रीमती ऋचा मिश्रा, वरिष्ठ सलाहकार, सुशासन संस्थान, भोपाल
			ट्रांसजेण्डर संजना सिंह, समाज सेविका
		सार्वजनिक स्तर पर बोलने की कला	श्री आशीष चौबे, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन एवं संचार सलाहकार, यूनिसेफ
3	प्रमुख शासकीय योजनाएं	मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका	श्री एम. एल. त्यागी, संयुक्त आयुक्त, मनरेगा परिषद, भोपाल
		प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	सुश्री मनीषा दवे, उपायुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल
		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	सुश्री कनिष्का, सलाहकार E&Y- स्वच्छ भारत मिशन, भोपाल
			श्री साबिर इकबाल, सलाहकार, यूनीसेफ - स्वच्छ भारत मिशन, भोपाल
		सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संबंधित प्रमुख योजनाएं	डॉ. विवेकिन पचौरी, उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

4	स्वास्थ्य एवं पोषण	सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण से संबंधित महिला एवं बाल हितैषी पंचायतें	सुश्री पूजा सिंह, सोशल पॉलिसी विशेषज्ञ यूनिसेफ़
		जेंडर बजटिंग	सुश्री सुदीपा दास, सलाहकार, UN Women एवं जीआरबी राज्य तकनीकी समन्वयक
		स्वास्थ्य एवं पोषण : महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख योजनाएं	श्रीमती तृप्ति राज त्रिपाठी, सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य महिला आयोग एवं संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल
		स्वास्थ्य एवं पोषण: विभिन्न स्तर पर संस्थागत संरचनाए	डॉ. सुषमा तायवाड़े, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एविडेंस एक्शन, भोपाल
5	साइबर अपराध	महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध एवं मानव तस्करी	श्री अरविंद सिंह दाँगी, विधि अधिकारी, साइबर सेल, भोपाल
6	आजीविका संवर्धन	स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण एवं संवहनीय आजीविका में पंचायतों की भूमिका	श्री अमित खरे, सहा. राज्य परियोजना प्रबंधक, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
			श्री भागवत अहिरवार, एडवाईज़र, सुशासन संस्थान, भोपाल
7	संगठन निर्माण	टीम बिल्डिंग एवं बिल्डिंग ट्रस्ट	प्रो. एच. एम. मिश्रा, प्रोफेसर (से.नि.), आर.सी.व्ही. पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
			प्रो. कुमुदिनी शर्मा, प्रोफेसर (से.नि.), आर.सी.व्ही. पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
8	सोशल मीडिया एवं संचार कौशल	संचार कौशल और सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग	श्री सुनील वर्मा, सहायक संचालक , जनसंपर्क विभाग, भोपाल
			श्री आशीष चौबे, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन एवं संचार सलाहकार, यूनिसेफ
9	ई- गवर्नेन्स	पंचायत दर्पण, मनरेगा सॉफ्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण पोर्टलों के संचालन संबंधित जानकारी	श्री व्ही. के. त्रिपाठी, उप संचालक, आई. टी., पंचायत राज संचालनालय, भोपाल
			श्री दीपक गौतम- पंचायत राज संचालनालय, श्री अंशुल अग्रवाल- एम.आई.एस समन्वयक, मनरेगा, भोपाल
10	अन्य	सोलराइज़ेशन- ग्रामीण भारत का भविष्य	सुश्री प्राजक्ता अधिकारी,वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक एवं ऋषभ चंद्र, विश्लेषक, एनसिस्टमस् मुंबई

उपरोक्त तालिका में कार्यक्षेत्रवार दर्शाए गए विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों के अंतर्गत चर्चा किए गए प्रमुख विषयों / बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :-

3.1. त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था

वर्ष 1992 में संविधान का 73वां संशोधन लागू हुआ, जिसके बाद मध्यप्रदेश देश का सबसे पहला राज्य हैं जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 प्रदेश में लागू किया। दिनांक 25 जनवरी 1994 को प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 26 जनवरी 1994 से इसे पूरे प्रदेश में प्रभावशील किया गया ।

इस सत्र के वक्ता श्री जी.पी. अग्रवाल थे, जो कि मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय से उप संचालक के पद से सेवानिवृत हुए । सत्र के दौरान वक्ता द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं उसमे महिलाओं की भूमिका के विषय में जानकारी दी तथा बताया कि किस तरह सरपंच अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए समाज मे सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने 3 मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए फंड ,फ़ंक्शन एवं फंक्शनरी पर जोर दिया। सामाजिक अंकेक्षण पर जोर देते हुए श्री अग्रवाल ने बताया की यह क्यों जरूरी है ओर इससे हम किस तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकते है। इसके अलावा फंड के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को करने के लिए विभिन्न स्त्रोतों से बजट/राजस्व प्राप्त होता है जैसे :-

- राज्य सरकार से अनुदान
- केंद्र सरकार से अनुदान
- स्थानीय कर (जैसे, संपत्ति कर, आयकर, आदि)
- ऋण
- अन्य स्त्रोत (जैसे, अनुदान, दान, आदि)

इसके अतिरिक्त श्री अग्रवाल द्वारा बताया गया की त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यवस्था ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और समाज में समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपने जोर देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की बैठकें ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का एक मंच हैं । आपके द्वारा ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठकों के प्रबंधन एवं संचालन के विषय मे प्रतिभगियों को जागरूक किया गया तथा बताया गया की इन बैठकों का संचालन एवं प्रबंधन प्रभावी रूप से किया जाना आवश्यक है, जिससे सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके एवं निर्णय पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से लिए जा सकें। महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों के विषय में बताते हुए आपने निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला :-

- धारा 40 की कार्यवाही के बारे मे बताते हुए बताया कि पहले जो कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व्दारा की जाती थी उसमें संशोधन कर उसके स्थान पर इसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सौंपा गया है।
- त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
- 15 नवंम्बर 2022 से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में पेसा नियम लागू किए गये है जिसके अर्न्तगत अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार सौपे गये हैं ।

चित्र 2 : वक्ता द्वारा पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास पर सम्बोधन

3.1.1 ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (GPDP), पंचायतों के वित्तीय संसाधन एवं अन्य राजस्व स्त्रोत

'She is a changemaker' कार्यक्रम अंतगत आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस विषय के संदर्भ मे चर्चा करने हेतु श्री जितेन्द्र (एसो. डायरेक्टर, गवर्नेन्स, टी.आर. आई.एफ.), श्री राजेश सिंह (वरिष्ठ प्रेक्टिशनर, टी.आर.आई.

एफ.), श्री संजय कुमार (सीनियर मैनेजर, टी.आर.आई.एफ.) एवं श्री बालकिशन व्यास (गेस्ट फैकल्टी, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल) वक्ता के रूप में प्रतिभागियों से रूबरू हुए ।

सत्र के दौरान वक्ताओं के द्वारा 'जन योजना अभियान - सबकी योजना सबका विकास' पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि जन योजना अभियान, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान है। यह अभियान हर साल 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक चलाया जाता है। इस अभियान के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी ग्रामीणों को आमंत्रित किया जाता है। ग्राम सभाओं में, ग्रामीण अपने गांव की समस्याओं और उनके समाधान के विषय में चर्चा करते हैं। इस चर्चा के आधार पर, ग्राम पंचायतें एक योजना तैयार करती हैं, जिसे ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) कहा जाता है।

चित्र 3 : जन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए वक्ता

वक्ताओं द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों के 'आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय' हेतु जीपीडीपी तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया हैं। इसमें संविधान की 11 वीं अनुसूची मे सूचीवद्ध सभी विषयों से संबंधित विभागों की योजनाओ से पूर्ण जुड़ाव शामिल हैं। जीपीडीपी पंचायत की परिधि मे आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों की ग्राम विकास योजनायों का समेकन व पंचायत स्तर की आवश्यकतों का निर्धारण हैं। सत्र के दौरान वक्ताओं द्वारा निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया:

- **जीपीडीपी तैयार करने मे ग्राम सभा की भूमिका:** वक्ताओं द्वारा समस्त जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को इंगित करते हुए बताया गया कि ग्राम सभा पंचायती राज का आलंब है यह अभिशासन में लोगों की भागीदारी का मंच है। यह गांव के लोगों को अपने इलाकों के विकास के लिए योजना प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है तथा प्रशासन को पारदर्शी भी बनाती है इन कारकों की पृष्ठभूमि में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी है कि ग्राम सभा, नियमों एवं अपेक्षाओं के अनुसार काम करे। ग्राम पंचायत मे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण भारत के कायाकल्प के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रभावी एवं दक्ष क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी हैं।

चित्र 4 ग्राम विकास योजना (जीपीडीपी) के विभिन्न चरणों के विषय में संबोधित करते हुए वक्ता

- **ग्राम सभा की अनुसूची:** ग्राम सभा में यह अभियान 2 अक्टूबर को शुरू किया जाता है। अभियान की अवधि के दौरान दो विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने की आवश्यकता होती है। पहले ग्राम सभा का आयोजन प्राथमिकता निर्धारित करने तथा विजन तैयार करने की कवायत पूरी करने के लिए किया जाना चाहिए। दूसरी ग्राम सभा में मसौदा जीपीडीपी अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखी जानी चाहिए।
- **ग्राम सभा के लिए कोरम:** राज्य के प्रासंगिक पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम का पालन करने की आवश्यकता होती है यदि

कोरम के अभाव में पहली बैठक स्थगित कर दी जाती है तो बैठक अगली तारीख तक स्थगित हो जाएगी और प्रक्रिया राज्य पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगी तथापि उद्देश्य यह होना चाहिए कि ग्राम सभा में कम से कम 10% उपस्थित हो ताकि यह सही मायने में सार्थक एवं सहभागिता पूर्ण कवायद हो सके।

- **महिला स्वसहायता समूहों के स्तर पर प्रक्रिया:** ग्राम संगठन स्तर पर 'गरीबी उन्मूलन योजना' तैयार की जाती हैं। जिस हेतु उस ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले समस्त समूह द्वारा हकदारी योजना (शासकीय योजनाओ से संबंधित) एवं आजीविका योजना (कृषि, गैर-कृषि एवं वनोपज लघु उद्धम से संबंधित) से संबंधित डाटा का एकत्रीकरण किया जाता है एवं उन समस्त समूहों द्वारा प्राप्त डाटा का समेकन ग्राम संगठन स्तर पर किया जाता है तथा ग्राम संगठन स्तर पर अन्य दो योजनाएं सेवा योजना (पब्लिक गुड्ज़, सर्विसेज़ एवं उपलब्ध संसाधनों से संबंधित) एवं सामाजिक विकास योजना (सामाजिक विकास के मुद्दों से संबंधित) के डाटा को एकत्र किया जाता है। अन्ततः ग्राम संगठन स्तर पर 'गरीबी उन्मूलन योजना' तैयार की जाती हैं जिसका समेकन जीपीडीपी मे किया जाता हैं।
- **फैसिलिटेटर द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्य:** फैसिलिटेटर द्वारा विभिन्न ग्रामों से प्राप्त योजनाओं का संकलन किया जाता है एवं मिशन अंत्योदय रिपोर्ट कार्ड निकालकर प्राथमिक वांछनीय मुद्दों की पहचान की जाती हैं। फैसिलिटेटर द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से प्रदत्त योजना के प्रस्तुतीकरण में सहयोग भी किया जाता है।
- **ग्राम पंचायत स्तरीय विशेष बैठक:** विशेष बैठक मे लाइन विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं ग्राम योजनाओं के बजट निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। रिसोर्स एनवेलप के आधार पर वर्तमान योजना का अवलोकन किया जाता है एवं ग्राम विकास योजनाओं व गरीबी उन्मूलन योजनाओं के आधार पर गतिविधियों को अंतिम रूप दिया जाता है। गतिविधियों का प्राथमिकीकरण, योजना निर्माण एवं उसका अनुमोदन ग्राम सभा मे लिया जाता है, इस प्रकार जीपीडीपी को अंतिम रूप दिया जाता है इसके पश्चात इसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

15 वां वित्त आयोग एवं राजस्व के स्त्रोत: वक्ताओं द्वारा 15 वें वित्त आयोग मे उद्धधरित उपबंधों को सारगर्भित रूप मे प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राशि का आवंटन किया गया है जिसमे अनुदान का 40 प्रतिशत अनानुबंधित अनुदान होगा तथा शेष 60 प्रतिशत अनुबंधित अनुदान के रूप में होगा। अनानुबंधित अनुदान का प्रयोग वेतन एवं अन्य स्थापना लागत को छोड़कर 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के तहत महसूस की गई आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। जहां तक अनुबंधित अनुदान का संबंध है, कुल अनुदान के 30 प्रतिशत का उपयोग पेयजल, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा तथा कुल अनुदान के 30 प्रतिशत का उपयोग स्वच्छता तथा ओडीएफ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए किया जाएगा। यदि किसी स्थानीय निकाय में एक श्रेणी में पूर्णतः संतृप्ति प्राप्त कर ली है तो वह दूसरी श्रेणी के लिए निधियों का प्रयोग कर सकता है। संबंधित ग्राम सभा द्वारा इसको प्रमाणित किया जाएगा जिसकी पर्यवेक्षी प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से पुष्टि की जाएगी। पंचायत स्तर पर मकान कर, जल कर, हाट कर आदि करों को भी एकठ्ठा किया जा सकता हैं। सरपंच द्वारा अधिकतम 25 लाख के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

चित्र 5 : ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधनों पर चर्चा करते हुए वक्ता

3.2. नेतृत्व कौशल विकास

किसी भी जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच के लिए नेतृत्व कौशल, गांव स्तर पर सार्थक और प्रभावी प्रशासन हेतु आवश्यक गुण होते हैं। यह सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि वह समुदाय की उन्नति एवं सामाजिक सुधार के लिए नेतृत्व प्रदर्शित करें और साथ ही साथ संगठनात्मक कौशल व विचारकता का प्रदर्शन करें। एक अच्छा सरपंच उन्नति, सहयोग, एवं समर्थन की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जिससे ग्रामीण समुदाय के हित में सुधार हो सकता है।

इस सत्र की वक्ता श्रीमती ऋचा मिश्रा थीं, जो कि वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में वरिष्ट सलाहकार की रूप में कार्यरत हैं। आपके द्वारा बताया गया कि नेतृत्व कौशल बहुत ही प्राथमिक कला है, जब सामाजिक जीवन में ग्राम के परिवेश में सरपंच जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होते हैं तब उनकी प्रभावपूर्ण नेतृत्व करने की क्षमता आम-जन से जुडने एवं ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छा जनप्रतिनिधि बनने के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करना बहुत जरूरी है। आपके द्वारा नेतृत्वकर्ता के गुणों के बारे मे भी चर्चा की गई :-

- **संवाद कौशल (Communication Skills):** एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छे संवाद कौशल विकसित करें, जिसमें सुनने और बोलने के कौशल शामिल होते हैं।
- **संगठनात्मक कौशल (Organizational Skills):** एक जनप्रतिनिधि को देश के लिए सही रास्ता चुनने में मदद करने के लिए संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है ।
- **प्रेरणा और मोटिवेशन (Inspiration and Motivation):** नेता को अपने टीम को प्रेरित और प्रेरणित करने के कौशल को समझना चाहिए।
- **समर्थन और पुनर्निर्देशन (Support and Redirection)**: नेता को अपनी टीम के सदस्यों को समर्थन देने और उन्हें यदि आवश्यक हो तो मार्ग पर लाने के कौशल को समझना चाहिए।

चित्र 6 : नेतृत्व कौशल पर सत्र के दौरान वक्ता

इस सत्र के दौरान श्रीमती ऋचा मिश्रा द्वारा बताया की नेतृत्व कौशल और संघर्ष समाधान (Conflict Resolution) दो अहम कौशल हैं जो किसी भी प्रबंधक, नेतृत्वकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेतृत्व कौशल एक व्यक्ति के लिए दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें एक लक्ष्य की ओर ले जाने की क्षमता है। उनके द्वारा बताया गया कि Conflict resolution संघर्ष को हल करने की प्रक्रिया है। प्रभावी conflict resolution कौशल विकसित करने से महिला सरपंचों को अपने समुदायों में संघर्ष को कम करने और समाधान खोजने में मदद मिलती है ।

3.2.1 सार्वजनिक स्तर पर बोलने की कला

जनसंवाद कला, यानि सार्वजनिक भाषण कला, मानव संगठन और समुदायों में प्रभावी संवाद की एक कला है। इसका महत्व आज के समय में अत्यधिक है, क्योंकि यह एक व्यक्ति को उनके विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त करने में मदद करता है, जो उनके व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है। सार्वजनिक भाषण कला के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और समुदाय के साथ अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। यह एक कौशल है जिसे सीखने के माध्यम से हर कोई अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

इस सत्र की वक्ता ट्रासंजेंडर संजना सिंह थीं जिन्होंने ट्रासंजेंडरों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु शिक्षा, नौकरी तथा व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वक्ता द्वारा प्रतिभागियों को बताया गया कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक स्तर पर

बोलने की कला उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके गांव के विकास में सहयोग करने तथा सामाजिक एवं सामुदायिक संबंधों को मजबूती से बनाए रखने में मदद करती है। सत्र के दौरान आपने बताया कि सार्वजनिक स्तर पर बोलने की कला विभिन्न समुदायों को आपस में जोड़ने के लिए भी बहुत आवश्यक है। सार्वजनिक स्तर पर बोलने की कला किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी विचारशीलता, सामर्थ्य और संवेदना को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

चित्र 7 : प्रतिभागियों से अपने सामाजिक अनुभव साझा करते हुए

वक्ता द्वारा बताया गया की सार्वजनिक स्तर पर बोलने की कला सीखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से कहें।
- अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए उचित शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करें।
- अपनी बात कहने के दौरान अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें।
- अपनी बात कहने के दौरान अपनी आंखों से दर्शकों को देखें।

इसी सत्र के दूसरे वक्ता श्री आशीष चौबे थे जो यूनिसेफ में सामाजिक व्यवहार परिवर्तन एवं संचार सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं । एक मंच संचालक के रूप में श्री आशीष चौबे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति वाले अनेक कार्यक्रमों की बागडोर सम्भाल चुके हैं। श्री चौबे द्वारा भी सार्वजनिक रूप से बोलने की कला को बेहतर बनाने के लिए मूल मंत्र बताए। उन्होंने 10 महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ समझाया की सार्वजनिक भाषण या सार्वजनिक आयोजनों में बोलने के दौरान जनप्रतिनिधि की रूप में किन चीजों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है :-

- महान वक्ताओं को सुनें
- अपनी बॉडी लैंग्वेज (हाव-भाव) पर ध्यान दें/रखें
- बोलने का अभ्यास और सांस नियंत्रित रखें
- टॉकिंग पॉइंट्स तैयार करें
- अपने दर्शकों/श्रोताओं को जानें
- आत्मविश्वास बनाएं रखें
- मंच पर बोलने का अभ्यास करें
- अपने भाषण रिकॉर्ड करें और सुनें
- मित्रों से प्रतिक्रिया लें
- पब्लिक स्पीकिंग क्लास लें

सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री चौबे द्वारा कहा गया 'समाज में उतनी समस्याएं नही है, जितनी हमारे दिमाग में है। आप अपने कुशल नेतृत्व से हर समस्या का समाधान कर सकती हैं'। साथ ही उन्होंने यह भी बताया की क्या करें और क्या ना करें, जिससे आपके सामाजिक जीवन की समझ एवं लोगों से संवाद करने का तरीका बेहतर हो सके । अंत में उन्होंने प्रतिभागियों को उत्साहित करते हुए मनोरंजक ढंग में बातचीत करने के लिए फिल्मों के कुछ प्रसिद्ध डायलॉग बुलवाए एवं सत्र आनंदित रूप से समाप्त किया।

चित्र 8 : महिला जन प्रतिनिधियों से संचार कौशल को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा

3.3. प्रमुख शासकीय योजनाएं

भारत के विकास के माध्यम से सामूहिक समृद्धि की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से कई ग्रामीण विकास को समृद्धि की ऊँचाईयों तक पहुंचाने के लिए समर्पित हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक समृद्धि को सुधारने का प्रयास किया है। यह धाराएं न केवल गाँवों की सकारात्मक बदलाव का करती हैं, बल्कि वे सामाजिक असमानता को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

विभिन्न बैचों के प्रशिक्षण के दौरान इस सत्र के प्रमुख वक्ताओं के रूप में श्री एम. एल. त्यागी, संयुक्त आयुक्त, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल, सुश्री मनीषा दवे, उपायुक्त, पंचायत राज संचालनालय भोपाल, डॉ विवेकिन पचौरी, उप-संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, श्री साबिर इकबाल एवं सुश्री कनिष्का, परामर्शदाता, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण, भोपाल थे ।

3.3.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

चित्र 9 : मनरेगा योजना पर चर्चा के दौरान वक्ता

इस सत्र के वक्ता श्री एम. एल. त्यागी थे जो कि वर्तमान में संयुक्त आयुक्त, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल, के पद पर कार्यरत हैं । आपके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के रूप में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर एवं बैतूल जिले में भी अपनी सेवाएं दी गई हैं । सत्र के दौरान वक्ता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2005 से लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम एक मांग-संचालित योजना है जो प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार के लिये प्रति वर्ष 100 दिनों के अकुशल कार्य की गारंटी देती है । आपके द्वारा इस योजना के उद्देश्यों, पात्रता, योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय संरचना एवं कार्य के साथ-साथ जॉब कार्ड, सोशल ऑडिट, लेबर बजट, बेरोजगारी भत्ता, मजदूरी दर, प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.), अभिसरण (convergence), सचिव, ग्राम रोजगार सहायक इत्यादि के कार्य एवं दायित्वों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की । इसके अतिरिक्त श्री त्यागी द्वारा योजना के बेहतर क्रियान्वन में पंचायतों की भूमिका एवं महिलाओं के नेतृत्व पर जोर दिया।

3.3.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):

चित्र 10 : सुश्री मनीषा दवे का आभार व्यक्त करते हुए
श्री गौरव खरे, एडवाईज़र

इस सत्र की वक्ता सुश्री मनीषा दवे थीं, जो कि वर्तमान में संचालनालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। वे पूर्व में भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही हैं। सुश्री मनीषा दवे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के विषय पर प्रतिभागियों के साथ विस्तृत चर्चा की । उन्होंने बताया की वर्ष 2024 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने एवं पिछली आवास योजनाओं की कमियों को दूर करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाए–जी) में पुनर्गठित कर दिनांक 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत सभी बेघर परिवारों तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष

2024 बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है । वक्ता द्वारा योजनान्तर्गत पात्र परिवारों हेतु विभिन पात्रता मापदंड जैसे - वार्षिक आय, पहले से पक्के मकान की अनुपलब्धता इत्यादि पर चर्चा करते हुए योजनान्तर्गत अभिसरण के माध्यम से मिलने वाले लाभों के बारें बी भी प्रतिभगियों का क्षमतावर्धन किया । आपके द्वारा बताया गया कि पीएमएवाई-जी के तहत, सरकार प्रत्येक परिवार को 1.2 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान करती है, यह राशि पात्र परिवार को चार चरणों में प्राप्त होती है जो कि सीधे हितग्राही के खाते में हस्तांतरित की जाती है । यह राशि परिवार को घर बनाने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री और श्रम खरीदने में मदद करती है। सुश्री दवे द्वारा ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में इस योजना के अप्रत्यक्ष लाभों के बारे में बताया गया के ये योजना –

- ग्रामीण भारत में गरीबी एवं असमानता को कम करने में मदद करती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता में सुधार करने में मदद करती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।

3.3.3 स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रामीण)

चित्र 11 : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर चर्चा

स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रामीण) पर आयोजित विभिन्न सत्रों के वक्ताओं में सुश्री कनिष्का एवं श्री साबिर इकबाल थे। सुश्री कनिष्का, ई एण्ड वाय में परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हैं तथा वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के राज्य कार्यालय में कनसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाए दे रही हैं । सत्र के दूसरे वक्ता श्री साबिर इकबाल थे, जो यूनिसेफ में राज्य सलाहकार, व्यवहार परिवर्तन एवं संचार विशेषज्ञ, के पद पर कार्यरत हैं तथा पिछले 15 वर्षों से आपने सामाजिक व्यवहार परिवर्तन मे विशेष योगदान दिया। आपके द्वारा पिछले 8 सालों से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मध्यप्रदेश में IEC और CB हेतु अपना सराहनीय योगदान दिया जा रहा है।

सत्र के दौरान सुश्री कनिष्का ने स्वच्छता की महत्ता पर जोर देते हुए ग्राम पंचायतों की भूमिका पर प्रकाश डाला एवं बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ग्रामीण भारत को स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ने हेतु एक सराहनीय कदम है। यह अभियान एक स्वस्थ और समृद्ध भारत की ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी एक हिस्सा है। उन्होंने व्यक्तिगत शौचालयों के उपयोग तथा स्वच्छ व्यवहार अपनाने पर जोर दिया एवं आवश्यकतानुसार पंचायतों में भूमिहीन और अस्थायी आबादी के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने पर जोर दिया। साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.) के माध्यम से पंचायतों को कचरा मुक्त एवं स्वच्छ बनाने के विषय में प्रतिभागियों से विस्तार से चर्चा की गई।

चित्र 12 : श्री साबिर इकबाल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक पर चर्चा करते हुए

इसी सत्र के दूसरे वक्ता श्री साबिर इकबाल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर विस्तारित रुप में प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वच्छता का गाँव के लिए क्या मूल्य है एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए खुले में शौच से मुक्त ग्राम एवं इसकी निरंतरता, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग, संस्थागत शौचालयों की उपलब्धता एवं उपयोग, ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गंदे पानी – Grey & Black - का सुरक्षित

निपटान, ग्रामों द्वारा ODF प्लस लक्ष्य की प्राप्ति इत्यादि विषयों पर विस्तृत रूप से प्रतिभागियों का क्षमतावर्धन किया गया।

3.3.4 सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संबंधित प्रमुख योजनाएं

इस सत्र की वक्ता डॉ. विवेकिन पचौरी थीं, जो वर्तमान में कार्यालय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भोपाल में उप-संचालक के पद पर पदस्थ हैं। डॉ. पचौरी द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका पर प्रतिभागियों से व्यापक चर्चा की गई । वक्ता द्वारा प्रमुख योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नि:शक्त पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह /निकाह योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना एवं उनकी पात्रता शर्तों के विषय में विस्तृत चर्चा की गई।

चित्र 13 : सामाजिक न्याय संबंधित योजनाओं पर चर्चा के दौरान

3.4. स्वास्थ्य एवं पोषण

स्वास्थ्य एवं पोषण ग्रामीण विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाए एवं पोषण सुरक्षित मातृत्व देने में मदद करते हैं। स्वस्थ एवं पोषित बच्चे शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक होते हैं। स्वस्थ लोग सकारात्मक रूप से कार्य कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों में आर्थिक विकास होता है। स्वास्थ्य एवं पोषण ग्रामीण समुदायों के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, स्वास्थ्य एवं पोषण ग्रामीण विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार बनाते हैं, जो समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, और सशक्त समुदाय की स्थापना में सहायक होते हैं।

3.4.1 सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण से संबंधित महिला एवं बाल हितैषी पंचायत

चित्र 14 : प्रतिभागियों से खान पान एवं पोषण पर विस्तृत चर्चा के दौरान

इस सत्र की वक्ता सुश्री पूजा सिंह थीं जो कि यूनिसेफ मध्य प्रदेश में लोक नीति विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं । सुश्री सिंह द्वारा कहा गया कि पोषण परिणामों में सुधार के लिए पंचायतें प्रमुख मंचों में से एक हैं। वक्ता द्वारा बताया गया कि सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध बुनियादी स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं तक पहुंच के लिए पोषण वांछित व्यवहार तथा जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है । ग्राम, विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर आउटरीच कार्यक्रम, पहचान अभियान, शिविर तथा घर का दौरा करने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आपके द्वारा बताया गया कि सही पोषण न मिलने से विकास में दिक्कतें आती हैं तथा भारतीय बच्चों में कुपोषण स्तर के स्थिर बने रहने का मुख्य कारण महिलाओं के गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान उनका कुपोषित होना है। इसके परिणामस्वरुप,महिलाओं के पोषण - गर्भावस्था के पहले, गर्भावस्था के दौरान और बाद को अब यूनिसेफ इंडिया के पोषण कार्यक्रम-निर्माण में इसे एक विशेष ध्यान क्षेत्र (फोकस एरिया) के रूप में शामिल किया गया है। यूनिसेफ का लक्ष्य अब वैश्विक एवं राष्ट्रीय सहमति पर आधारित

महिलाओं के लिए पांच आवश्यक पोषण के प्रयासों की व्याप्ति को और अधिक व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। आपने प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए पोषण हेतु पाँच पोषण प्रयासों नामतः घरों में खाए जाने वाले भोजन की मात्रा और पोषण स्तर में सुधार करना, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और एनीमिया को रोकना, बुनियादी पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना, पानी और स्वच्छता संबंधी शिक्षा तथा सुविधाओं तक पहुंच में सुधार, सफाई और स्वच्छता (साथ ही मासिक धर्म संबंधी साफ-सफाई) के बारे में शिक्षा प्रदान करना जैसे मत्वपूर्ण प्रयासों पर प्रकाश डाला गया ।

3.4.2 जेंडर बजटिंग

चित्र 15 : पंचायत स्तर पर जेंडर बजटिंग पर चर्चा करतीं वक्ता

महिलाओं के लिए लैंगिक असमानता भी एक प्रमुख मुद्दा है। इस सत्र की वक्ता UN Women एवं जीआरबी राज्य तकनीकी समन्वयक के रूप में कार्यरत श्रीमती सुदीपा दास ने लैंगिक असमानता का अर्थ बताते हुए कहा कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव समाज में व्यापक है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेद-भाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। उन्होंने बताया कि जेंडर बजटिंग के कई लाभ हैं। यह महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह लिंग-आधारित असमानताओं को दूर करने में भी मदद करता है, जैसे कि महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में असमानता। आपके द्वारा जेंडर बजटिंग के कुछ विशिष्ट लाभों के विषय में बताया गया जिसमें निम्नलिखित प्रमुख थे :-

- यह महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है।
- यह महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल तक अधिक पहुंच प्रदान करता है।
- यह महिलाओं को हिंसा से बचाने में मदद करता है।
- यह महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे बढ़ने में मदद करता है।

3.4.3 स्वास्थ्य एवं पोषण : महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख योजनाएं

इस विषय में सत्र की वक्ता श्रीमती तृप्ति राज त्रिपाठी, सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग एवं संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा कुछ अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला एवं खान पान में सही पोषक तत्वों का महत्व बताया। उन्होंने प्रमुखतः न्यूट्रिशन पर प्रकाश डाल तथा बताया कि न्यूट्रिशन ऐसा खान-पान है, जिससे शरीर को पोषक तत्व मिलें एवं जिससे शरीर को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि हम पोषण के महत्व को समझें तथा उसके अनुसार आहार का सेवन करें। पोषण का सही फॉर्मूला यही है कि सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करें, ताकि खान-पान की गलत आदतों की वजह से शरीर में उत्पन्न हुए असंतुलन ठीक हो सकें एवं शरीर के भीतर सही संतुलन बनाया रखा जा सके। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तथा विटामिन, सभी पोषक तत्वों को एक संतुलित मात्रा में ग्रहण करना जरूरी होता है। शरीर को सुचारु रूप से चलाने के लिए हर पोषक तत्व की अपनी अलग व महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, वसा हमारे शरीर में ऊर्जा बनाये रखने में मददगार है। खनिज तथा विटामिन शरीर के अन्य कार्यों में सहयोग करते हैं।

चित्र 16 : आहार में पोषक तत्वों के महत्व के विषय में चर्चा

महिला एवं बाल विकास की प्रमुख योजनाओं पर चर्चा करते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए जीवनचक्र एप्रोच अपनाकर चरणबद्ध तरीके से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 0 से 06 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओ के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया है । इसी प्रकार बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2004 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई। इसी क्रम में वक्ता द्वारा बताया कि किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित, महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते है एवं ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है । यदि किसी भी पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है । इस उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना'' प्रदेश में सितम्बर 2013 से प्रारंभ की गई है ।

3.4.4 स्वास्थ्य एवं पोषण: विभिन्न स्तर पर संस्थागत संरचनाए

इस सत्र की वक्ता डॉ. सुषमा तायवाड़े, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एविडेंस एक्शन, भोपाल थीं, जिन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ एवं सरपंचों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला । उनके द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र मे दी जाने वाली सेवाएँ जैसे -पूरक पोषण आहार,स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएँ, टीकाकरण, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी व परामर्श ,स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा पर प्रतिभागियों को विस्तृत रूप से बताया गया ।उनके द्वारा वीएचएसएनडी की भूमिका विस्तार से समझाते हुए इसके मुख्य उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालते हुए बताया गया कि वीएचएसएनडी सभी वर्गों एवं विशेष रूप से सीमान्त एवं संवेदनशील समुदायों को उपचारात्मक सेवाओं के प्रावधान के लिए एक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है, जिसके विशिष्ट लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

- सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, प्रारम्भिक शिशु विकास तथा स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता उन्नत करना ।
- स्वास्थ्य, प्रारम्भिक शिशु विकास, पोषण तथा स्वच्छता से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं एवं पात्रताओं के विषय में सूचना उपलब्ध कराना तथा जागरूकता उत्पन्न करना।
- व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता कार्यों में सुधार हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना ।
- संदर्भ सेवाओं अथवा विशिष्ट सहायता की आवश्यकता वाले परिवारों को चिन्हित कर उन्हें संबंधित क्षेत्र के उचित सेवा प्रदाताओं से जोड़ना ।

चित्र 17 : स्वास्थ्य संबंधित विविध मुद्दों पर प्रतिभागियों से चर्चा के दौरान वक्ता

इसके अतिरिक्त वक्ता द्वारा एनीमिया के विषय पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि एनीमिया को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है जिसमे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑयरन की कमी होती है। ऐसा होने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुच पाती है। एनीमिया की वजह से शारीरिक एवं मानसिक विकास में रुकावट होती हैं । उन्होंने महिलाओं को सही मात्रा में खान-पान एवं गोलियों के जरिए ऑयरन लेने हेतु भी प्रेरित किया ।

3.5. साइबर अपराध

3.5.1 महिलाओं के विरुद्ध साईबर अपराध एवं मानव तस्करी

साइबर अपराध डिजिटल माध्यमों, इंटरनेट, एवं तकनीकी उपकरणों का दुरुपयोग करके किए जाने वाले अपराधों को कहते हैं। इनमें व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे की मोबाईल के OTP के माध्यम से पैसे निकाल लेना शामिल है। इस सत्र के वक्ता वर्ष 2017 से मध्य प्रदेश साइबर अपराध सेल भोपाल में विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री अरविंद सिंह दांगी द्वारा बताया गया कि साइबर अपराध समाज में गंभीर समस्या बन चुका है। इसने समाज मे व्यक्तियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। श्री दाँगी द्वारा बताया गया कि किस तरह वीडिओ कॉल के माध्यम से व्यक्तियों से गंदे छायाचित्र साझा करके लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने साइबर अपराध से बचने हेतु जनप्रतिनिधियों को 'क्या करें, क्या न करें संबंधित' कुछ सुझाव भी दिए, जो इस प्रकार है:

- साइबर अपराध होने पर तत्काल साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल करें ।
- ऑनलाइन बैंकिंग के पासवॉर्ड समय-समय पर बदलते रहें
- किसी भी स्थिति में ओटीपी/सीवीवी क्रेडिट/डेबिट कार्ड संबंधित अन्य जानकारी तथा व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार कार्ड/ पैन कार्ड/जन्म तिथि किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें ।
- जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में लोगों को साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्णता के बारे में जागरूक करने के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
- सायबर सुरक्षा के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन करें।

इसके अतिरिक्त मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मानव तस्करी, जिसे अंग्रेजी में "human trafficking" कहा जाता है, एक घातक अपराधिक प्रवृत्ति है, जो व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और उन्हें अनैतिक तरीके से बेचती है। यह अपराध मुख्यतः महिलाओं और बच्चों को शिकार बनाता है, लेकिन इसमें पुरुषों को भी शामिल किया जा सकता है। मानव तस्करी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। मानव तस्करी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी, बेरोज़गारी, युवा लोगों की अशिक्षा, नारी अत्याचार, और आत्मनिर्भरता की कमी। यह अपराध अक्सर धर्मिक, सामाजिक, और आर्थिक बदलावों के परिणामस्वरूप बढ़ता है। मानव तस्करी का प्रभाव घातक होता है, क्योंकि इससे लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है और उन्हें अनैतिक शारीरिक, आत्मिक और मानवाधिकारों के उल्लंघनों का सामना करना पड़ता है।

चित्र 18 : साइबर हेल्पलाइन सुविधाओं पर चर्चा के दौरान वक्ता

वक्ता द्वारा बताया गया कि इस अपराध के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने, जागरूकता बढ़ाने, और सशक्तिकरण के माध्यमों का अधिवेशन करने के लिए समुदाय और सरकारी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। इस संक्षेप में उन्होंने महिला सरपंचों को जागरूक करते हुए अपनी ग्राम पंचायत में भी लोगों को सुरक्षित एवं जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा की इस समस्या का निवारण करने के लिए निचले स्तर पर गांवों में लोगों को समझना एवं जागरूक बनाना एक बेहतर विकल्प है, जिससे कई ज़िंदगी बचाई जा सकती हैं।

3.6. आजीविका संवर्धन

स्व-सहायता समूह सामुदायिक स्तर पर एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है तथा सामाजिक समृद्धि की दिशा में प्रोत्साहित करना है।

पंचायतें सामुदायिक संगठनों को स्थानीय स्तर पर समर्थन प्रदान करके स्व-सहायता समूहों को मजबूती प्रदान कर सकती हैं। पंचायतें स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित कर सकती हैं। यह समूहों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता है। पंचायतें स्व-सहायता समूहों को समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करके उन्हें नए एवं सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का उपयोग करने में मदद कर सकती हैं।

चित्र 19 : वक्ता द्वारा आजीविका संवर्धन में पंचायतों की भूमिका पर सम्बोधन

इस सत्र के वक्ता श्री अमित खरे, सहा. राज्य परियोजना प्रबंधक, म.प्र. राज्य आजीविका मिशन भोपाल थे जिनके द्वारा बताया गया कि स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं असमानता को कम करने के लिए एक प्रभावी साधन है। एसएचजी महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री अमित खरे द्वारा समूह के माध्यम से पंचायत के विकास कार्य एवं सभी महिलाओं को समूह में जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने के विषय में जानकारी दी गई।

स्व-सहायता समहों हेतु विभिन्न वित्तीय प्रावधान के बारे मे जानकारी देते हुए श्री खरे ने बताया की सरकार के द्वारा सर्वप्रथम रिवॉलविंग फंड के रूप मे समूह की महिलाओ को राशि दी जाती है इसके पश्चात आजीविका संवर्धन हेतु CIF फंड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वक्ता द्वारा कौशल उन्नयन से संबंधित डीडीयू-जीकेवाई योजना के बारे मे जानकारी दी गई साथ ही स्थानीय स्तर पर लघु उद्यमिता को बढावा देने हेतु ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के बारे मे जानकारी दी गई। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्धता के क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकासखंड/उप-विकासखंड स्तर आयोजित किए जा रहे रोजगार मेलों के विषय में भी बताया गया।

3.7. संगठन निर्माण

3.7.1 टीम बिल्डिंग एवं बिल्डिंग ट्रस्ट

टीम बिल्डिंग पंचायती राज में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है जो सफल प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। पंचायती राज एक संगठित प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। इसके लिए एक मजबूत टीम का होना अत्यंत आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों को अपनी टीम को संघटित करने, समृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुलकर काम करने की आदत डालनी चाहिए। टीम बिल्डिंग के माध्यम से सभी सदस्यों के बीच एक अच्छे सामंजस्य का माहौल बनाया जा सकता है, जिससे कार्य प्रभावी रूप से हो सकता है। सरपंच ग्राम की रीड की हड्डी होते हैं, अगर आपसी सामंजस्य और एकजुटता की कमी रहती है तो एकतरफा विकास विवादों और अविश्वासों का शिकार हो जाता है।

इस सत्र के वक्ता सामाजिक क्षेत्र के प्रोफेसर एच.एम.मिश्रा टीम बिल्डिंग एवं बिल्डिंग ट्रस्ट के विषय में बताते हुए कहा कि यह दोनों किसी भी सफल टीम के दो आवश्यक पहलू हैं। जब टीम के सदस्य एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो वे प्रभावी ढंग से सहयोग करने, खुले तौर पर जानकारी साझा करने और जोखिम लेने की अधिक संभावना रखते हैं। यह बेहतर निर्णय लेने, उत्पादकता में वृद्धि और अधिक सकारात्मक कार्य वातावरण की ओर ले जा सकता है। उन्होंने एक खेल के माध्यम से महिला जनप्रतिनिधियों को आपसी सामंजस्य बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया की आपसी सामंजस्य से ग्राम पंचायतों मे जटिल से जटिल समस्या का भी निवारण आसानी से किया जा सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण पद पर होकर सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए सिर्फ जानकारियाँ पर्याप्त नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्य एवं आपसी सहयोग भी इसमें सम्मिलित है।

इस सत्र की दूसरी वक्ता डॉ. कुमुदिनी शर्मा, मास्टर ट्रेनर, प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग,भारत सरकार ,नई दिल्ली ने भी टीम बिल्डिंग के महत्व बताते हुए कहा कि सदस्यों के बीच

सहयोग एवं विश्वास की अधिक भावना होने से टीम में काम करने पर हर कोई अधिक प्रभावी रूप से एवं गुणवत्तायुक्त कार्य कर सकता है। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि गाँव की सामाजिक संरचना एक हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों की तरह होती है, जहां मुखिया जनता के बिना तथा जनता एक साथ लेकर चलने वाले मुखिया के बिना अपूर्ण है। एक कुशल नेता के गुणों को बताते हुए उन्होंने टीम में विभिन्न भूमिकाए बताई –

- प्रोत्साहन का वातावरण एवं विचारों का खुलापन
- एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना
- टीम सदस्यों को प्रेरित करना
- टीम को ध्यान केन्द्रित करने में सहायक बनना
- समस्या समाधान एवं सहयोग करना
- संभावित जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना
- टीम सदस्यों के योगदान को पहचानना

चित्र 20 : प्रशिक्षक के साथ टीम बिल्डिंग गतिविधियां करतीं हुई प्रतिभागी

डॉ. शर्मा द्वारा प्रतिभागियों के साथ समूह गतिविधियां भी कराई गई जो कि मुख्य रूप से समूह प्रबंधन एवं आपसी सामांजस्य तथा समन्वय पर आधारित थीं। उन्होंने यह भी बताया की विवाद की स्थिति ना होना, शांति का प्रतीक नहीं माना जा सकता है, कई बार यह खुलकर विचार व्यक्त ना कर पाने की स्थिति भी हो सकती है। इसलिए गाँव में फीडबैक लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए। एक सरपंच ग्राम का विकास तभी प्रभावी रूप से कर सकता है जब उनको सबकी जरूरतों के साथ सबके विचारों का भी आभास हो।

3.8. सोशल मीडिया एवं संचार कौशल

सोशल मीडिया और संचार कौशल, पंचायत जनप्रतिनिधियों हेतु एक महत्वपूर्ण पहलू है । यह एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिससे वे अपने क्षेत्र में सुधार करने के लिए जनता के साथ सीधे संवाद में रह सकते हैं। सोशल मीडिया और संचार कौशल का सही उपयोग करने से पंचायत जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद मिल सकती है और उन्हें एक सकारात्मक समाज की दिशा में काम करने के लिए सक्षम बना सकती है। सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग करके जनप्रतिनिधियों द्वारा लोगों को सही तरीके से जानकारी प्रदान की जा सकती है, लोगों को जागरूक कर उन्हें सामाजिक मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है।

3.8.1 संचार कौशल और सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग

इस विषय पर आयोजित सत्रों में से एक सत्र के वक्ता श्री सुनील वर्मा, सहायक संचालक जनसम्पर्क, भोपाल थे, जिनके द्वारा संचार कौशल विषय पर प्रतिभागियों को विविध जानकारियाँ दी गईं एवं बताया गया की संचार कौशल हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने तथा अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है । जबकि सोशल मीडिया हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने और जोड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। उनके द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम जैसे की ट्विटर, व्हाट्सप्प, फेसबुक, जी-मेल आदि के विषय में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी गई । साथ ही हर पंचायत की बेस्ट प्रेक्टिस के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हेतु उसे सोशल मीडिया पर साझा करने हेतु हर पंचायत को एक फेसबुक पेज बनाने के बारे मे बताया गया। सभी जनप्रतिनधियों को बताया गया की वह अपने अपने GRS के माध्यम से पेज बनवा सकते है जिसमे निम्न बातों का ध्यान रखे -

- उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री बनाएं एवं केवल वही पेज पर साझा करें ।
- जो लोग आपकी सामग्री देखते हैं, उन्हें यह आकर्षक और जानकारीपूर्ण लगना चाहिए ,जैसे की कोई बेस्ट प्रेक्टिस / नवाचार ।

- सामग्री नियमित रूप से पोस्ट करें। जितना अधिक आप पोस्ट करेंगे, उतना ही अधिक लोग आपकी सामग्री देखेंगे।

चित्र 21 : सोशल मीडिया का प्रभावशाली उपयोग दर्शाते हुए प्रशिक्षक

इसी क्रम में एक दूसरे प्रशिक्षण में आयोजित संचार कौशल एवं सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग सत्र में श्री आशीष चौबे,सलाहकार, यूनिसेफ ने भी सोशल मीडिया के प्रभावी एवं सतर्कतापूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। वक्ता द्वारा कहा गया कि संचार कौशल का अच्छा उपयोग जनप्रतिनिधियों को नागरिकों के साथ एक नेटवर्क स्थापित करने में सहायक होता है जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि नागरिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं को समझ सकते हैं तथा उसके समाधान की दिशा में कार्य करने के लिए सक्रिय रूप से जुटे रह सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने समझाया कि सोशल मीडिया आज के समय में कितना महत्वपूर्ण माध्यम है, दूसरों तक अपने विचार पहुँचाने के लिए। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनप्रतिनिधियों नवीनतम सूचनाओं को अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुँचा सकते हैं।उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए सरपंचों को उत्साहित किया तथा निम्न बातों का ध्यान रखने पर जोर दिया-

- अन्य लोगों की भावनाओं का सम्मान करें।यह आपको कार्यक्षेत्र में एक विश्वसनीय सहायक के रूप में आपकी मदद करेगा।
- फ़ैक्ट्स का उपयोग करें, सही और प्रमाणिक जानकारी ही शेयर करें।
- विवादास्पद भावनाओं से दूर रहें।
- लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें।
- उबाऊ या बोझिल न हों।पोस्ट जितनी संक्षिप्त हो उतना अच्छा।

चित्र 22 : संचार कौशल सत्र के दौरान वक्ता

इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग करते समय कुछ जरूरी बाते बताई जिससे किसी विवाद या जोखिम की स्थिति को बचाया जा सके-

- जो आपको या दूसरों को जोखिम में डाल सकती है, ऐसी बात साझा न करें।
- अभद्र भाषा के मंच के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग न करें।
- आपसी संवाद न करें।
- याद रखें सोशल मीडिया शिकायतें करने का मंच नहीं है।

अगर सतर्कतापूर्वक एवं सोच समझकर सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए तो यह एक जनप्रतिनिधि की छवि बनाने के लिए बहुत ही सफल एवं प्रभावपूर्ण माध्यम है। इसका सही उपयोग एवं लापरवाही दोनों ही निश्चित परिणाम लेकर आते है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हर सरपंच की सोशल मीडिया पर मौजूदगी होना ग्राम विकास एवं सूचनाओं की प्रस्तुति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

3.9. ई- गवर्नेन्स

3.9.1 पंचायत दर्पण, मनरेगा सॉफ्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण पोर्टलों के संचालन संबंधित जानकारी

उक्त विषय पर श्री व्ही. के. त्रिपाठी, उप-संचालक, आई.टी., पंचायत राज संचालनालय, भोपाल, श्री दीपक गौतम प्रोग्रामर, पंचायत राज संचालनालय, श्री अंशुल अग्रवाल, प्रोग्रामर, मनरेगा, भोपाल द्वारा सत्र लिए गए। श्री त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि ई-ग्राम स्वराज, मनरेगा पोर्टल, एवं

पंचायत दर्पण जैसे भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टलस् नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता तथा सशक्तिकरण प्रदान करते हैं।

चित्र 23 : विभागीय पोर्टल का उपयोग दर्शाते हुए वक्ता

इन पोर्टलस् के माध्यम से नागरिक शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं शासकीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधिओं को उक्त पोर्टल के संचालन से संबंधित समस्त जानकारी से अवगत कराया एवं उपस्थित समस्त सरपंचों से आग्रह किया कि इन पोर्टलस् पर कोई भी जानकारी त्रुटिपूर्ण इंद्राज ना करें, चूंकि पोर्टल के माध्यम से किसी भी ग्राम पंचायत में चल रही समस्त गतिविधियों की वास्तविक जानकरी प्राप्त की जा सकती हैं । इसी क्रम में श्री दीपक गौतम प्रोग्रामर, पंचायत राज संचालनालय, श्री अंशुल अग्रवाल, प्रोग्रामर, मनरेगा, भोपाल द्वारा निम्न पोर्टलस् के संबंध मे बताया गया:

- **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल:** ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने में मदद करता है। पोर्टल के माध्यम से जन-सामान्य ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं, परियोजनाओं और खर्चों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं और उनकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को अपनाना अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी ग्राम पंचायतें एक ही मापदंड पर कार्यरत हैं। इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होता है।
- **मनरेगा पोर्टल:** मनरेगा योजना के तहत होने वाले कामकाज की निगरानी और ट्रैकिंग में मदद करता है। पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण नागरिक मनरेगा योजना के तहत उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने कार्य विवरण और मजदूरी की जांच भी कर सकते हैं। मनरेगा पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि मनरेगा योजना के तहत होने वाला कामकाज पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाए। इससे मनरेगा योजना के तहत रोजगार पाने वाले ग्रामीणों के हितों की रक्षा होती है।

चित्र 24 : प्रशिक्षक दल विभिन्न पोर्टस् के संचालन पर संबोधन देते हुए

- **पंचायत दर्पण:** पंचायत दर्पण पोर्टल पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआइ) की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन माध्यम है। यह पोर्टल पीआरआई की विकास योजनाओं, परियोजनाओं और खर्चों की जानकारी प्रदान करता है। पोर्टल के माध्यम से नागरिक पीआरआई के कामकाज से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। पंचायत दर्पण पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि पीआरआई एक पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करें। इससे पीआरआई के तहत होने वाले विकास कार्यों में ग्रामीण नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है।

3.10. सोलराइज़ेशन- ग्रामीण भारत का भविष्य

इस सत्र की मुख्य वक्ता सुश्री प्रजक्ता अधिकारी, वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर MP Ensystems Pvt. Ltd. थीं जो कि पर्यावरण क्षेत्र मे 10 वर्षों का अनुभव रखती हैं। उन्होंने मूलतः सौर ऊर्जा के उपयोग एवं इसके लाभ के विषय में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा तकनीक की लागत में हाल के वर्षों में काफी कमी आई है,

जिससे यह अधिक किफायती हो गया है। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिसके अंतर्गत भारत सरकार, सौर ऊर्जा पैनल एवं अन्य उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करती है। सौर ऊर्जा का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है, उसमे से कुछ प्रमुख हैं -

- सोलर पंप योजना जो कि किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी योजना के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि किसान किस तरह सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेकर इस योजना से लाभान्वित हो सकते है।
- बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर पैनल का उपयोग घरों, और पंचायत भवन की इमारतों में किया जा सकता है।
- गर्म पानी के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग नहाने और खाना पकाने के लिए किया जा सकता है।
- प्रकाश के लिए सौर लाइट का उपयोग सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे पंचायत भवन, बैठने के लिए सार्वजनिक स्थल पर किया जा सकता है।
- सौर ऊर्जा की रख-रखाव एवं तकनीकी सहायता पर चर्चा।
- सौर ऊर्जा से लाभ जैसे की पर्यावरणीय लाभ, आर्थिक लाभ एवं कौशल विकास पर चर्चा ।
- सोलर ऊर्जा का उपयोग करके ना सिर्फ बिजली की सही बचत की जा सकती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यह एक प्रभावी कदम है।

चित्र 25 : सौर ऊर्जा के विषय में प्रतिभागियों का क्षमतावर्धन करतीं वक्ता

अंत में उन्होंने उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों से अपनी-अपनी ग्राम पंचायत में सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया।

3.11. प्रशिक्षण कार्यकर्मों का समापन

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंत में सभी प्रतिभीगियों से प्रशिक्षण के संबंध में उनका फीडबैक राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बैच के प्रतिभागियों को एआईजीजीपीए टीम द्वारा प्रमाण-पत्र वितरित कर तथा ग्रुप फोटो के साथ इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समापन किया गया।

4

परिशिष्ट

परिशिष्ट -1

प्रतिभागियों की सूची

Batch - 1 'She is a Changemaker' बैतूल जिले की ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिनांक 23-25 अगस्त 2023						
क्रं.	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम	प्रतिभागी का नाम	पदनाम	मोबाइल नं.
1	बैतूल	बैतूल	कढ़ाई	श्रीमती पुष्पा झरबडे	सरपंच	6265449844
2	बैतूल	बैतूल	बडोरा	श्रीमती सविता धुर्वे	सरपंच	8827204017
3	बैतूल	बैतूल	लावन्या	श्रीमती श्यामरती इवने	सरपंच	8889812020
4	बैतूल	आमला	हसलपुर	श्रीमती सरस्वती बेले	सरपंच	7247581711
5	बैतूल	आमला	बामला	श्रीमती रीना देशराज उईके	सरपंच	8319322275
6	बैतूल	प्रभातपटटन	रायआमला	श्रीमती सुमन अशोक डांगे	सरपंच	8462095464
7	बैतूल	प्रभातपटटन	सेन्दुरझना	श्रीमती दुर्गा राजेश मानकर	सरपंच	9165752692
8	बैतूल	प्रभातपटटन	साईखेडाखुर्द	श्रीमती माया सुरेन्द्र वागद्रे	सरपंच	9165231663
9	बैतूल	भीमपुर	पालंगा	श्रीमती सुखवंती अशोक इवने	सरपंच	9098134956
10	बैतूल	भीमपुर	सिगांरचावडी	श्रीमती सुनिता सेलुकर	सरपंच	9301036510
11	बैतूल	भीमपुर	आदर्श धनोरा	श्रीमती हीरंती धुर्वे	सरपंच	8719874199
12	बैतूल	आठनेर	सांवगी	श्रीमती शीला सरियाम	सरपंच	9329889276
13	बैतूल	आठनेर	रजोला	श्रीमती शिवकांती इवने	सरपंच	7489144010
14	बैतूल	आठनेर	आष्टी	श्रीमती सरस्वती कुमरे	सरपंच	8989034113
15	बैतूल	आठनेर	बरखेड़	श्रीमती निशा धुर्वे	सरपंच	8839010353
16	बैतूल	आठनेर	धनोरा	श्रीमती पुनिता कवड़े	सरपंच	6260097336
17	बैतूल	मुलताई	सोनेगांव	श्रीमती आशु सूर्यवंशी	सरपंच	8989213141
18	बैतूल	मुलताई	पिपरिया	श्रीमती सीमा करदाते	सरपंच	6265974129
19	बैतूल	भैंसदेही	चिचोलीढाना	श्रीमती पार्वती पिन्टू भुसुमकर	सरपंच	7828699730
20	बैतूल	भैंसदेही	पोहर	श्रीमती शशि शंकर सिंह उइके	सरपंच	8109105121

21	बैतूल	भैंसदेही	चिल्कापुर	श्रीमती हेमलता फूलचंद लोखंडे	सरपंच	8109105121
22	बैतूल	भैंसदेही	कालडोंगरी	श्रीमती पूजा इवने	सरपंच	8236099878
23	बैतूल	घोडाडोगरी	खापा	श्रीमती सहनवती कवडे	सरपंच	8319380606
24	बैतूल	घोडाडोगरी	फुलगोहान	श्रीमती निशा धुर्वे	सरपंच	9754183669
25	बैतूल	घोडाडोगरी	बंजारीढाल	श्रीमती सरबती बारस्कर	सरपंच	9753382660
26	बैतूल	चिचोली	निवारी	श्रीमती फुलियाबाई धारासिगं परते	सरपंच	9993732301
27	बैतूल	चिचोली	आलमपुर	श्रीमती सुलन्ती रामा परते	सरपंच	7024628657
28	बैतूल	चिचोली	चुनाहजुरी	श्रीमती सुनिता उइके	सरपंच	8989903065
29	बैतूल	चिचोली	नसीराबाद	श्रीमती सुनिता सुजीत उइके	सरपंच	9755893236
30	बैतूल	शाहपुर	भौंरा	श्रीमती मीरा धुर्वे	सरपंच	
31	बैतूल	शाहपुर	कोटमी	श्रीमती पारबती धुर्वे	सरपंच	7724902143
32	बैतूल	शाहपुर	रायपुर	श्रीमती ज्योति टेकाम	सरपंच	9617665805
33	बैतूल	शाहपुर	धपाड़ा	श्रीमती सुमंत्रा चौहान	सरपंच	9424452902

Batch - 2

'She is a Changemaker'

सीहोर जिले की ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिनांक 12-14 सितंबर 2023

क्रं.	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम	प्रतिभागी का नाम	पदनाम	मोबाइल नं.
1	सीहोर	सीहोर	बिलकिसगंज	श्रीमती प्रिया बाथम	सरपंच	6264236573
2	सीहोर	सीहोर	आमला	श्रीमती राजकुार बाई	सरपंच	7746959721
3	सीहोर	सीहोर	कुलासकलां	श्रीमती मनीषा वर्मा	सरपंच	9200421440
4	सीहोर	सीहोर	कुलासखुर्द	श्रीमती रितु वर्मा	सरपंच	8264741108
5	सीहोर	सीहोर	तकीपुर	श्रीमती रुबीना बी	सरपंच	9754620168
6	सीहोर	सीहोर	बिजोरी	श्रीमती कविता	सरपंच	9752172986
7	सीहोर	सीहोर	कादराबाद	श्रीमती लक्ष्मीबाई	सरपंच	8889153470
8	सीहोर	सीहोर	करंजखेड़ा	कमलेश बाई	सरपंच	8827852084

9	सीहोर	आष्टा	बड़घाटी	श्रीमती अमिला	सरपंच	9229408434
10	सीहोर	आष्टा	मेहतवाड़ा	श्रीमती किरण	सरपंच	8435994879
11	सीहोर	आष्टा	भुफोड	श्रीमती शशि	सरपंच	9893362660
12	सीहोर	आष्टा	अरोलिया जावर	श्रीमती सुलोचना	सरपंच	7697712581
13	सीहोर	आष्टा	कुरावर	श्रीमती सुमित्रा देवी	सरपंच	9926332498
14	सीहोर	आष्टा	चाचरसी	श्रीमती शीला	सरपंच	8085927908
15	सीहोर	आष्टा	पाडलिया	श्रीमती शक्कर बाई	सरपंच	9977387870
16	सीहोर	आष्टा	गुराडिया रूपचंद	श्रीमती सीमा	सरपंच	9827663627
17	सीहोर	इछावर	लाउखेड़ी	श्रीमती माया मालवीय	सरपंच	8085637830
18	सीहोर	इछावर	ढाबला राय	श्रीमती सीमाबाई	सरपंच	7354263021
19	सीहोर	इछावर	कुढ़ी	श्रीमती सपना	सरपंच	9425026543
20	सीहोर	इछावर	बलोंडिया	श्रीमती भगवती गुर्जर	सरपंच	9454183854
21	सीहोर	इछावर	अबिदाबाद	श्रीमती रेखाबाई	सरपंच	8305673740
22	सीहोर	इछावर	खेरी	श्रीमती गीताबाई	सरपंच	9893788005
23	सीहोर	इछावर	सोहनखेड़ा	श्रीमती सोनी बाई	सरपंच	9131866228
24	सीहोर	इछावर	रामगढ़	श्रीमती मोनबाई	सरपंच	9630361148
25	सीहोर	बुदनी	बोरधी	श्रीमती पेमलताबाई	सरपंच	9039556586
26	सीहोर	बुदनी	जहानपुर	श्रीमती राधाबाई	सरपंच	6265971089
27	सीहोर	बुदनी	सगोनिया	श्रीमती सरोज	सरपंच	9893772175
28	सीहोर	बुदनी	भड़ाकुल	श्रीमती संजू	सरपंच	9926922182
29	सीहोर	बुदनी	इटारसी	श्रीमती सुषमा	सरपंच	6266680080
30	सीहोर	भैरूंदा	हालियाखेड़ी	श्रीमती पल्लवी जाट	सरपंच	9644510811

Batch - 3

'She is a Changemaker'

रायसेन जिले की ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिनांक 25-27 सितंबर 2023

क्रं.	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम	प्रतिभागी का नाम	पदनाम	मोबाइल नं.
1	रायसेन	औबेदुल्लागंज	बोरपानी	श्रीमती सुनीता बाई उईके	सरपंच	9893887745
2	रायसेन	औबेदुल्लागंज	गौहरगंज	श्रीमती फिरदोस जहाँ	सरपंच	9303003677/ 8770554099
3	रायसेन	औबेदुल्लागंज	डुंगरिया	श्रीमती उमा बाई	सरपंच	9691673438
4	रायसेन	औबेदुल्लागंज	सेमरीखुर्द	श्रीमती सुनीता अहिरवार	सरपंच	8223898461
5	रायसेन	औबेदुल्लागंज	बरखेड़ा	श्रीमती पिंकी बाई	सरपंच	7587557626/ 6268301434
6	रायसेन	औबेदुल्लागंज	चिकलोदखुर्द	श्रीमती सुशीला बाई	सरपंच	8817890018
7	रायसेन	औबेदुल्लागंज	दाहोद	श्रीमती ओमवती पटेल	सरपंच	9575577586
8	रायसेन	औबेदुल्लागंज	इमलियां गोडी	श्रीमती मंजू बाई लोवन्शी	सरपंच	9770252752
9	रायसेन	औबेदुल्लागंज	प्रेमतलाव	श्रीमती गायत्री बाई	सरपंच	6232572519
10	रायसेन	औबेदुल्लागंज	मगरपूँछ	श्रीमती बंटी बाई	सरपंच	8305705752
11	रायसेन	औबेदुल्लागंज	सेमरीकलां	श्रीमती राजकुमारी	सरपंच	9993213638
12	रायसेन	औबेदुल्लागंज	सलकनी	श्रीमती उर्मिला बाई	सरपंच	9302989190
13	रायसेन	साँची	अंबाड़ी	श्रीमती कुंती बाई	सरपंच	8871872813/ 8827185657
14	रायसेन	साँची	बिरहौली	श्रीमती रीना चीदाड़	सरपंच	9993527992
15	रायसेन	साँची	ग्यारसावाद	श्रीमती ऊषाबाई	सरपंच	9329532265
16	रायसेन	साँची	पगनेश्वर	श्रीमती प्रवला बाई	सरपंच	7489765721/ 8959813740
17	रायसेन	साँची	व्यावरा	श्रीमती पार्वती बाई	सरपंच	8962932717
18	रायसेन	साँची	चिरहौली	श्रीमती कल्ली बाई	सरपंच	6362057223
19	रायसेन	साँची	भादनेर	श्रीमती अनीषा	सरपंच	8815564181
20	रायसेन	साँची	भूसीमेटा	श्रीमती इमरत बाई	सरपंच	9630063148

21	रायसेन	साँची	पीपलखिरिया	श्रीमती कृष्णा बाई	सरपंच	8817988471/ 8640070194
22	रायसेन	साँची	कचनारिया	श्रीमती सितारा बाई	सरपंच	8770786761
23	रायसेन	साँची	रंगपुरा केसरी	श्रीमती पूजा	सरपंच	7987133526
24	रायसेन	साँची	बीदपुरा	श्रीमती सुमंत्रा बाई	सरपंच	7987133525/ 9753771916
25	रायसेन	साँची	वररूखार	श्रीमती बसंती	सरपंच	N.A.
26	रायसेन	साँची	महुपथरई	श्रीमती नेमा बाई	सरपंच	N.A.
27	रायसेन	साँची	मुछैला	श्रीमती संताबाई	सरपंच	N.A.
28	रायसेन	साँची	मेढकी	श्रीमती संगीता	सरपंच	8871092810
29	रायसेन	साँची	सिरसोदा	श्रीमती कुसुम बाई	सरपंच	8963990924
30	रायसेन	साँची	महुपथरई	श्रीमती भूरी बाई	सरपंच	7024867630
31	रायसेन	साँची	बागोर	श्रीमती नरबदी बाई	सरपंच	9329945059/ 9752223544
32	रायसेन	साँची	बनखेड़ी	श्रीमती खिम्बों बाई	सरपंच	8640070194
33	रायसेन	साँची	हिनोतिया	श्रीमती मंगोबाई धुर्वे	सरपंच	7828860632/ 8269995976
34	रायसेन	साँची	महू जागीर	श्रीमती जामवती बाई	सरपंच	8962908106
35	रायसेन	साँची	मुछैल	श्रीमती अखलेश बाई	सरपंच	9753771916
36	रायसेन	साँची	नाद	श्रीमती कमला बाई	सरपंच	8817194717/ 9823281267
37	रायसेन	बाडी	भीमपुर कंजर	श्रीमती राजकुमारी	सरपंच	8103505522
38	रायसेन	बाडी	बेरखेड़ी कलां	श्रीमती पूजा बाई	सरपंच	6264810947

Batch - 4 'She is a Changemaker' भोपाल जिले की ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिनांक 04-06 अक्टूबर 2023						
क्रं.	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम	प्रतिभागी का नाम	पदनाम	मोबाइल नं.
1	भोपाल	बैरसिया	रोंजिया बाज्याफत	श्रीमती बैजन्ती बाई	सरपंच	8770498741
2	भोपाल	बैरसिया	खादमपुर	श्रीमती ममता बाई	सरपंच	8223985146
3	भोपाल	बैरसिया	रमगढ़ा	श्रीमती मीरा बाई	सरपंच	7247569380
4	भोपाल	बैरसिया	हिनोती सड़क	श्रीमती मथुरादेवी नागर	सरपंच	9770958271
5	भोपाल	बैरसिया	दिल्लौद	श्रीमती रानी शैलू भार्गव	सरपंच	9229433613
6	भोपाल	बैरसिया	सेमरीकलां	श्रीमती पूना बाई	सरपंच	9200386097
7	भोपाल	बैरसिया	नलखेड़ा	श्रीमती फूल कुंवर	सरपंच	9981414473
8	भोपाल	बैरसिया	रमपुराबालाचौन	श्रीमती कस्तूरी बाई	सरपंच	7389880539
9	भोपाल	बैरसिया	खुकरिया	श्रीमती ममता बाई	सरपंच	9301404468
10	भोपाल	बैरसिया	हबीबगंज	श्रीमती आरती गुर्जर	सरपंच	7828902996
11	भोपाल	बैरसिया	निदानपुर	श्रीमती गीता यादव	सरपंच	8959227334
12	भोपाल	बैरसिया	नायसमंद	श्रीमती कलाबाई	सरपंच	9200617814
13	भोपाल	बैरसिया	चांदासलोई	श्रीमती सुममीबाई	सरपंच	9165127550
14	भोपाल	फंदा	आमला	श्रीमती सौरभ बाई	सरपंच	8817213981
15	भोपाल	फंदा	बेरखेड़ीवाज्याफ्त	श्रीमती कमला कुशवाहा	सरपंच	9826288059
16	भोपाल	फंदा	खजूरीसड़क	श्रीमती गुलाब बाई पटेल	सरपंच	9109507155
17	भोपाल	फंदा	कुराना	श्रीमती गीता मंडलोई	सरपंच	8085837077
18	भोपाल	फंदा	मुंगालियाछाप	श्रीमती मनीषा पाटीदार	सरपंच	9977612320
19	भोपाल	फंदा	नांदनी	श्रीमती कृपामनी वर्मा	सरपंच	9926921576
20	भोपाल	फंदा	फंदाकलॉ	श्रीगती वर्षा सोलंकी	सरपंच	9926885588
21	भोपाल	फंदा	रातीबड़	श्रीमती ज्योति राजौरिया	सरपंच	9893990465
22	भोपाल	फंदा	सेमरीवाज्याफत	श्रीमती सुशीला बाई	सरपंच	9685757636

23	भोपाल	फंदा	सुरैयानगर	श्रीमती शीला लोधी	सरपंच	6232270955
24	भोपाल	फंदा	समसगढ	श्रीमती सौरम बाई	सरपंच	9754133571
25	भोपाल	फंदा	पिपलियारानी	श्रीमती शकुंनतला बाई	सरपंच	9039835956
26	भोपाल	फंदा	खुरचनी	श्रीमती कविता बघेल	सरपंच	9617861468
27	भोपाल	फंदा	महाबड़िया	श्रीमती सुमन कन्नौज	सरपंच	7222947940
28	भोपाल	फंदा	नारोंहासांकल	श्रीमती रामबाई	सरपंच	7610572445
29	भोपाल	फंदा	जमुनियाकलाँ	श्रीमती नीतू मीना	सरपंच	9340318984

Batch - 5

‘She is a Changemaker’

नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिनांक 29 -31 जनवरी 2024

क्रं.	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम	प्रतिभागी का नाम	पदनाम	मोबाइल नं.
1	नर्मदापुरम	केसला	पाण्डरी	श्रीमती ममता उईके	सरपंच	9165622640
2	नर्मदापुरम	केसला	ताकू	श्रीमती रजनीबाई	सरपंच	7724813213
3	नर्मदापुरम	केसला	ढ़ावाकलां	श्रीमती फूलबंती इवने	सरपंच	8085481336
4	नर्मदापुरम	केसला	नया मल्लुपुरा	श्रीमती रामकली	सरपंच	9575837616
5	नर्मदापुरम	सिवनीमालवा	हिरनखेड़ा	सुश्री अमृत लिटोरिया	सरपंच	8839461778
6	नर्मदापुरम	सिवनीमालवा	चापड़ावाड़ा	श्रीमती द्रोपदी राठौर	सरपंच	8839527039
7	नर्मदापुरम	सिवनीमालवा	सोमलवाड़ा	श्रीमती दुर्गा बाई	सरपंच	9165361823
8	नर्मदापुरम	सिवनीमालवा	केवलाझिर	श्रीमती सारिता रिकेश	सरपंच	9009332379
9	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	बम्हनगांवकलां	श्रीमती रंजना सुरेष गौर	सरपंच	8436892002
10	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	जासलपुर	श्रीमती नीलू दीपक मेहरा	सरपंच	9926509084
11	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	पवारखेड़ाफार्म	श्रीमती सीमा घनश्याम मालवीय	सरपंच	9131559645
12	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	सावलखेड़ा	श्रीमती शर्मिला मेहरा	सरपंच	9399060691
13	नर्मदापुरम	माखननगर	नयाबोरी	श्रीमती मनीषा	सरपंच	7999014672
14	नर्मदापुरम	माखननगर	नयाचूरना	श्रीमती ममता यादव	सरपंच	9765161703
15	नर्मदापुरम	माखननगर	नयामाना	श्रीमती लक्ष्मी यादव	सरपंच	9399061829

16	नर्मदापुरम	सोहागपुर	गलचा	श्रीमती क्षमा पटेल	सरपंच	7999503002
17	नर्मदापुरम	सोहागपुर	किशनपुर	श्रीमती शान्तिबाई मेहरा	सरपंच	9589366320
18	नर्मदापुरम	पिपरिया	सिघोड़ी	श्रीमती स्वाति पटेल/ शिवराम	सरपंच	9425581234
19	नर्मदापुरम	बनखेड़ी	खमरिया	श्रीमती उर्मिला शरद पटेल	सरपंच	9691116763
20	नर्मदापुरम	बनखेड़ी	मुर्गीढाना	श्रीमती रचना राजेन्द्र चौकसे	सरपंच	9406561385
21	नर्मदापुरम	बनखेड़ी	बंचावानी	श्रीमती नामिता संतोष पटेल	सरपंच	8435632286

परिशिष्ट -2

वक्ताओं/प्रशिक्षकों का संक्षिप्त परिचय

- **श्री जी.पी.अग्रवाल,**

श्री अग्रवाल, उप-संचालक, पंचायत राज संचालनालय भोपाल से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में आप पंचायत राज संचालनालय भोपाल में परामर्शदाता, के रूप में अपनी सेवाए दे रहें हैं। पूर्व मे आप सलाहकार; राज्य निर्वाचन आयोग (म. प्र.), यू. एन. वीमेन नई दिल्ली; विभिन्न विभागों मे परामर्शदाता के रूप में पदस्थ रहे हैं।

- **श्रीमती तृप्ति राज त्रिपाठी,**

संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल। वर्तमान में आप सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग के पद पर पदस्थ हैं ।

- **प्रो. कुमुदिनी शर्मा**

प्रो. शर्मा, प्रोफेसर- व्यवहार विज्ञान, आर. सी. वी. पी. नोरोन्हा प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल (म.प्र.) के पद से सेवा निवृत्त हुई हैं। आपके द्वारा देश की लगभग समस्त प्रशासनिक अकादमियों मे प्रशिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण दिया गया हैं। पूर्व में म. प्र. एवं छ. ग. में पीएससी में साक्षात्कारकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

- **श्री एम. एल. त्यागी,**

  वर्तमान में संयुक्त आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में संभागीय आयुक्त कार्यालय में संयुक्त आयुक्त एवं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर व बैतूल जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं।

- **श्री जितेन्द्र,**

  वर्तमान में ट्रांसफॉर्म रुरल इंडिया फाउंडेशन में एसोसिएट डायरेक्टर (गवर्नेन्स) के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में स्टेट डाटा मैनेजमेंट कन्सल्टेन्ट, यूनिसेफ़, स्टेट फसिलिटेटर यूनिसेफ़ एवं म. प्र. के अनेक शासकीय उपक्रमों में कन्सल्टेन्ट के पद पर कार्यरत रहे हैं।

- **श्री आशीष चौबे,**

  वर्तमान में सलाहकार- सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार, यूनिसेफ़ के पद पर पदस्थ हैं। पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश मे राज्य संचार सलाहकार के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। श्री चौबे संचार और व्यवहार परिवर्तन संचार के विशेषज्ञ हैं एवं इस क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हैं।

- **श्री सुनील वर्मा,**

  वर्तमान में सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, भोपाल के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, कटनी, दमोह, पन्ना आदि जिलों में जिला जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

- **ट्रांसजेन्डर संजना सिंह ,**

  म. प्र. में राज्य निर्वाचन आयोग की स्टेट आइकॉन होने के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली ट्रांसजेन्डर पैरालीगल वॉलंटियर हैं। म. प्र. में सरकारी नौकरी पाने वाली पहली ट्रांसजेन्डर हैं जिन्हें सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के डायरेक्टर की निज सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई।

- **प्रो. एच. एम. मिश्रा**

  आप आर. सी. वी. पी. नोरोन्हा प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल (म.प्र में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हैं। पूर्व में आप लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रोफेसर- सामाजिक प्रबंधन, ओएसडी (प्रशिक्षण) नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विकास विभाग (म.प्र.) जैसे अनेक पदों पर पदस्थ रह चुके हैं।

- **श्रीमती सुदीपा दास**,

  वर्तमान में तकनीकी समन्वयक, जेन्डर बजटिंग, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ हैं। आप पिछले 22 वर्षों से जेन्डर जस्ट सोसाइटी (लैंगिक समानता) पर कार्य कर रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से लोकल गवर्नमेंट, स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं।

- **सुश्री पूजा सिंह,**

  वर्तमान में सोशल पॉलिसी विशेषज्ञ- यूनिसेफ़ के पद पर कार्यरत हैं।

श्री राजेश सिंह

वर्तमान में ट्रांसफॉर्म रुरल इंडिया फाउंडेशन में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; सलाहकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान; एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फ़ेलो रहे हैं।

सुश्री मनीषा दवे

वर्तमान में उपायुक्त, संचालनालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर कार्यरत हैं।

श्री गौरव खरे

वर्तमान में आप सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में एडवाईजर के पद पर कार्यरत हैं।

श्री भागवत अहिरवार

वर्तमान में आप सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में एडवाईजर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फ़ेलो रहे हैं तथा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

- **डॉ. विवेकिन पचौरी,**

  वर्तमान में उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पद पर कार्यरत हैं।

- **श्रीमती ऋचा मिश्रा,**

  वर्तमान में आप सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम; जिला कार्यक्रम प्रबंधक, नांदी फाउंडेशन आदि पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

- **श्री अमित खरे,**

  वर्तमान में सहायक राज्य परियोजना प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल के पद पर पदस्थ हैं। पूर्व में जिला परियोजना प्रबंधक, अलीराजपुर एवं समर्थन संस्था में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

- **श्री साबिर इकबाल**

  वर्तमान में राज्य सलाहकार-यूनिसेफ़, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पद पर कार्यरत हैं। श्री इकबाल व्यवहार परिवर्तन संचार के विशेषज्ञ हैं एवं इस क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हैं।

- **डॉ. सुषमा तायवाड़े**

वर्तमान में राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एविडेंस एक्शन, भोपाल के पद पर पदस्थ हैं। पूर्व में झपाइगो इंडिया, टाटा ट्रस्ट- टाइनी एवं अंतरा फाउंडेशन जैसी संस्थाओं में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य व एनिमिया मुक्त भारत जैसे क्षेत्रों और प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फ़ेलो के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

- **श्री अरविंद सिंह दाँगी**

वर्तमान में विधि अधिकारी राज्य साइबर मुख्यालय, भोपाल के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (विधि संकाय) एवं सहायक लोक अभियोजक आदि पदों पर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके हैं।

- **सुश्री प्राजक्ता अधिकारी**

वर्तमान में वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, एमपी एनसिस्टम सिस्टम के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में महाराष्ट्र सरकार के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट- इंडोर एयर क्वालिटी, इको- टुरिज़म गाइड्लाइंस एवं म. प्र. और महाराष्ट्र में रुरल हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर चुकी हैं।

- **श्री ऋषभ चंद्र**

वर्तमान में विश्लेषक, एमपी एनसिस्टम के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में सेंटर फॉर एनर्जी रेग्युलेशन (आईआईटी- कानपुर), वाटर शेड विकास योजना- नाबार्ड एवं म. प्र. और महाराष्ट्र में रुरल हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन आदि क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं।

- **श्री संजय कुमार**

  वर्तमान में ट्रांसफॉर्म रुरल इंडिया फाउंडेशन में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में प्रदान (प्रोफेशनल असिस्टेन्स फॉर डेवलपमेंट एक्शन) संस्था में स्टेट लीड (गवर्नेन्स), प्रिया फाउंडेशन में सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर जैसे अन्य पदों पर कार्यरत रहे हैं।

- **श्री व्ही. के. त्रिपाठी,**

  वर्तमान में उप संचालक, आई. टी., पंचायत राज संचालनालय, भोपाल के पद पर कार्यरत हैं।

- **श्री दीपक गौतम**

  वर्तमान में प्रोग्रामर, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल के पद पर पदस्थ हैं।

- **श्री अंशुल अग्रवाल**

  वर्तमान में प्रोग्रामर, मनरेगा परिषद, भोपाल के पद पर पदस्थ हैं।

- **सुश्री कनिष्का**

  वर्तमान में सलाहकार- स्वच्छ भारत मिशन, E&Y (अर्नस्ट एण्ड यंग) के पद पर कार्यरत हैं।

- **श्री बालकिशन व्यास**

  श्री व्यास राज्य स्तरीय रिसोर्स पर्सन एवं प्रशिक्षक हैं। केंद्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के शासकीय उपक्रमों के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं में प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

परिशिष्ट -3

मीडिया कवरेज

महिला पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आरंभ

भोपाल। राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली एवं अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण 23 अगस्त को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में आयोजित किया गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती तृप्ति राज त्रिपाठी द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी तथा प्रतिभागियों को जन-प्रतिनिधियों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने की अहमियत के बारे में बताया। जीपी अग्रवाल ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एव उसमे महिलाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी। सत्र के दूसरे दौर में अमित खरे, एएसपीएम, मप्र राज्य आजीविका मिशन द्वारा आजीविका संवर्धन के अहम पहलुओं पर चर्चा की। सुनील वर्मा, सहायक संचालक, जनसंपर्क ने संचार कौशल एवं सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग का महत्व बताया। एम एल त्यागी ज्वाइंट कमिश्नर मनरेगा ने बेहतर क्रियान्वन में पंचायतों की भूमिका एवं महिलाओं के नेतृत्व पर जोर दिया।

शी इज ए चेंजमेकर विषयक प्रशिक्षण आज से

भोपाल। राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यक्रम शी इज ए चेंजमेकर अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत की महिला जन-प्रतिनिधियों के तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शी इज ए चेंजमेकरअंतर्गत मध्यप्रदेश के बैतूल, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन तथा भोपाल जिले की कुल 200 महिला जन-प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

महिला पंच- सरपंचों को प्रशिक्षण की पहल

भोपाल| प्रदेश की महिला सरपंच और पंच को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान प्रशिक्षण देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदेश के पांच जिलों बैतूल, सीहोर, नर्मदापुरम रायसेन और भोपाल जिले की 200 महिला जनप्रतिनिधियों को 'शी इज ए चेंजमेकर' प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण के लिए चुना है। तीन दिन के इस प्रशिक्षण में इन महिलाओं को सक्रिय नेतृत्व को बढ़ावा देने से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में बैतूल जिले की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली और अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधि रही विशेष रूप से मौजूद

दैनिक जनविकारी

भोपाल। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली और अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में "SHE IS A CHANGEMAKER" ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज दिनांक 23 अगस्त 2023 को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती तृप्ति राज त्रिपाठी थीं। श्रीमती तृप्ति राज त्रिपाठी द्वारा महिला सशक्तिकरण के उपर प्रकाश डाला तथा

प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधियों के रूप मे अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने की अहमियत के बारे में बताया। कार्यक्रम में पंचायत संचनालय से सेवानिवृत जीपी अग्रवाल ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एव उसमे महिलाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी

सत्र के दूसरे दौर में श्री खरे, एएसपीएम, म.प्र. राज्य आजीविका मिशन द्वारा आजीविका स्वर्धन के अहम पहलुओं पर दृष्टिकोण व्यक्त किया गया तथा इसके उपरांत सुनील वर्मा सहायक संचालक जनसंपर्क भोपाल ने संचार कौशल एवं सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग का महत्व बताया। कार्यक्रम के अंतिम सत्र मे एम एल त्यागी ज्वाइंट कमिश्नर मनरेगा ने मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वन में पंचायतों की भूमिका एवं महिलाओं के नेतृत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन संस्थान के एडवाईजर एवं इस प्रशिक्षण के समन्वयक गौरव खरे द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली एवं अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय प्रशिक्षण

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधि रही विशेष रूप से मौजूद

भोपाल। राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली एवं अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में She is a Changemaker' ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज दिनांक 23 aug 2023 को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती तृप्ति राज त्रिपाठी थीं। श्रीमती तृप्ति राज त्रिपाठी द्वारा महिला सशक्तिकरण के उपर प्रकाश डाला तथा प्राक्तिभागियों को जनप्रतिनिधियों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने की अहमियत के बारे में बताया। कार्यक्रम में पंचायत संचनालय से सेवानिवृत जी पी अग्रवाल

जनसम्पर्क विभाग

Krutidev | Chanakya | कमेंट | ईमेल | प्रिंट

भोपाल की महिला पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल : शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2023, 19:30 IST

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली एवं अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में "She is a Changemaker" विषय पर भोपाल जिले की ग्राम पंचायतों की महिला पदाधिकारियों के लिये तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 अक्टूबर को क्षेत्रीय ग्रामीण

She is a changemaker- द्वितीय बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भोपाल में शुभारंभ

भोपाल। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वित पोषित प्रशिक्षण कार्यक्रम 'She is a Changemaker' अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मध्यप्रदेश के 05 जिलों नामतः बैतूल, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन तथा भोपाल जिले की कुल 200 महिला जन-जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

कार्यक्रम समन्वयक एवं संस्थान के एडवाइजर श्री गौरव खरे द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य महिला जनप्रतिनिधियों में प्रभावशाली और सक्रिय नेतृत्व को बढ़ावा देना, महिला जनप्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों, शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के साथ-साथ पंचायत राज से संबंधित दायित्वों एवं कार्यप्रणालियों जैसे विभिन्न मुद्दों पर उनका क्षमतावर्धन करना है।

इस क्रम में उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय बैच (जिला सीहोर) का आयोजन दिनांक 12 से 14 सितम्बर 2023 को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ीकला, भोपाल में किया जा रहा है।

She is a changemaker- द्वितीय बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भोपाल में शुभारंभ

Updated on September 12, 2023 8:03 pm By खबर का असर

NCW reposted
NCW @NCWIndia · 5d
The Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis in Bhopal hosted the Second Capacity Building Program under the "She is a Change Maker" project. From September 25th to 27th, 2023, Women Sarpanch from Raisen District embarked on a transformative journey,... Show more
6
113
127
2,870

AIGGPA @AIGGPA · Sep 13
#SheisaChangemaker,Batch2, Sehore District
द्वितीय दिवस, पंचम सत्र: ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (GPDP), पंचायतों के वित्तीय संसाधन एवं अन्य राजस्व स्त्रोतों पर चर्चा।
वक्ता: श्री जितेन्द्र, TRIF Bhopal
#mahilasarpanch #PRIs #womenleadership
Ministry of WCD and 9 others
231
270
1.5K

NCW reposted
AIGGPA @AIGGPA · 26 Sep
#SheisaChangemaker Batch 3, Raisen District.
Day 1, Session 2 : महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध एवं मानव तस्करी विषय पर चर्चा |
वक्ता - श्री अरविंद सिंह दांगी, विधि अधिकारी, साइबर सेल, भोपाल |
#mahilasarpanch #PRIs #womenleadership
You and 9 others

AIGGPA @AIGGPA · Jan 29
#SheisaChangemaker
Batch 5, Narmadapuram District.
Day 1, सत्र- पंचायत दर्पण, मनरेगा सॉफ्ट एवं अन्य पोर्टल के बारे में जानकारी |
- श्री भागवत अहिरवार, सलाहकार, एआईजीजीपीए, भोपाल
#mahilasarpanch #womenleadership
#PRIs #WomenEmpowerment
NCW and 7 others
1
101
237
2.6K

NCW reposted

AIGGPA @AIGGPA · 6d

#SheisaChangemaker
Batch 3,Raisen District.
We recognized the dedication and accomplishments of women leaders from various Gram Panchayats of the Raisen District by presenting them with certificates upon the completion of a successful three-days residential training programme.

You and 8 others

90 · 107 · 683

AIGGPA @AIGGPA · Sep 26

#SheisaChangemaker Batch 3, Raisen District.
Day 1, Session 3:स्वास्थ एवं पोषण विषय पर चर्चा।
वक्ता-डॉ सुषमा लापवाडे,राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एविडेंस एक्शन, भोपाल।

#mahilasarpanch #WomenEmpowerment #PRIs #womenleadership

Ministry of WCD and 8 others

137 · 159 · 1K

AIGGPA @AIGGPA · Sep 12

#SheisaChangemaker
Batch 2,Sehore ,Day 1:द्वितीय सत्र - Team Building and Building Trust
वक्ता - डॉ. कुमुदिनी शर्मा, मास्टर ट्रेनर, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,भारत सरकार

#sheisachangemaker #womenleaders #womenempowerment #womenleadership

Ministry of WCD and 8 others

112 · 118 · 522

NCW reposted

AIGGPA @AIGGPA · 6d

#SheisaChangemaker Batch 3, Raisen District.
Day 3: स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण एवं संवाहनीय आजीविका में पंचायतों की भूमिका विषय पर चर्चा।
वक्ता -श्री अमित खरे, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।

#mahilasarpanch #womenleadership #PRIs

You and 9 others

154 · 181 · 1,034

AIGGPA @AIGGPA · Oct 4

#SheisaChangemaker

Batch 4, Bhopal District ,Day 1:

Session - सार्वजनिक स्तर पर बोलने की कला पर चर्चा|

वक्ता -श्री आशीष चौबे, संचार सलाहकार, यूनिसेफ।

#mahilasarpanch #womenleadership #PRIs #WomenEmpowerment

Ministry of WCD and 8 others

70 98 625

महिला पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न

भोपाल। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली एवं अटलबिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 'शी इज अ चेंज मेकर' विषय पर भोपाल जिले की ग्राम पंचायतों की महिला पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में हुआ।

कार्यक्रम में गौरव खरे सलाहकार एआईजीजीपीए द्वारा त्रि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। ऋचा मिश्रा, वरिष्ठ सलाहकार, एआईजीजीपीए द्वारा नेतृत्व कौशल विषय पर चर्चा की गई।

महिला जन प्रतिनिधियों ने कहा, शी इज ए चेंज मेकर...! सीखी जिम्मेदारियां, जाने अधिकार

भोपाल। आज की नारी अबला नहीं, बल्कि शक्ति, आत्मविश्वास, उत्साह और लगन से परिपूर्ण एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व है। समाज के हर क्षेत्र में समान भागीदारी दर्शाकर उसने साबित किया है कि हां, वही है समाज परिवर्तक, वही है चेंज मेकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव तृप्ति राज त्रिपाठी ने ये बात कही। राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली और अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वे ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों को वे संबोधित कर रही थीं। इस मौके पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के पर प्रकाश

दैनिक क्लियरमिस्ट

She is a Change-maker विषय पर आधारित ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों हेतु ये तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भोपाल के बारे में जानकारी दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मप्र राज्य आजीविका मिशन के एएसपीएम अमित खरे द्वारा आजीविका संवर्धन के अहम पहलुओं पर दृष्टिकोण व्यक्त किया गया। इसके बाद कमिश्नर एमएल त्यागी ने मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वन में पंचायत की भूमिका एवं महिलाओं के नेतृत्व पर जोर दिया। मंच संचालन संस्थान के एडवाईजर एवं इस प्रशिक्षण के समन्वयक

परिशिष्ट -4

प्रशिक्षण की झलकियां

R.D & PR.T.C
BHOPAL
is a Changemaker

'She is a Changemaker'
ग्राम पंचायत की
महिला जनप्रतिनिधियों
हेतु तीन दिवसीय
प्रशिक्षण कार्यक्रम
D & PR.T.C
BHOPAL

R.R.D & PR.T.C
BHOPAL
'She is a Changemaker'

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान
(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)
सुशासन भवन, टी.टी. नगर, भोपाल म.प्र. - 462003
दूरभाष नं. 0755-2770765, 2777316

वेबसाइट - www.aiggpa.mp.gov.in, ई मेल - aiggpa@mp.gov.in